9

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

सत्रहवीं लोक सभा

विद्युत मंत्रालय

[विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर–निष्पादनकारी आस्तियों संबंधी सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

नौवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2021 / फाल्गुन, 1942 (शक)

नौवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

सत्रहवीं लोक सभा

विद्युत मंत्रालय

[विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों संबंधी सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

19.03.2021 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया*
19.03.2021 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया*

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2021/*फाल्गुन*, 1942 *(शक)*

सी.ओ.ई. सं. 324

© 2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली –110 001 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ

समिति (2020-21) की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (v)

अध्याय एक प्रतिवेदन 1

अध्याय दो टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है 18

अध्याय तीन टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है 49

अध्याय चार टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है 50

अध्याय पांच टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं 52

परिशिष्ट

एक. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति 53

दो. 34 दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति 57

तीन. शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की प्रक्रिया 59

चार. समिति की 18 मार्च, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 61

पांच. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण 63

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती साजदा अहमद
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
5. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
11. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
12. श्री अशोक महादेवराव नेते
13. श्री प्रवीन कुमार निषाद
14. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री जय प्रकाश
17. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ˆ
18. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री पी. वेलुसामी
21 श्री अखिलेश यादव

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
26. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला
27. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
28. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

29. श्री के.टी.एस. तुलसी

30. रिक्त*

31. रिक्त#

सचिवालय

1.	श्री आर.सी. तिवारी	–	**संयुक्त सचिव**
2.	श्री आर.के. सूर्यनारायणन	–	**निदेशक**
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	–	**अपर निदेशक**
4.	श्रीमती एल. एन. हॉकिप	–	**उप सचिव**
5.	श्री मनीष कुमार	–	**समिति अधिकारी**

---

^ दिनांक 28.12.2020 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट ।

* श्री जावेद अली खान के 25.11.2020 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने पर रिक्त ।

समिति के गठन के समय से रिक्त।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों' संबंधी ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सैंतीसवां प्रतिवेदन 07 मार्च, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 10 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 18 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–पांच में दिया गया है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित हैं।

नई दिल्ली;
18 *मार्च,* 2021
27 *फाल्गुन,* 1942 *(शक)*

राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
सभापति
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अध्याय एक

प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों' के संबंध में सैंतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. सैंतीसवां प्रतिवेदन 07.03.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 15 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण दिनांक 10 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गए हैं। ये निम्नवत वर्गीकृत हैं:

i. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्र.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15

कुल - 14

अध्याय-दो

ii. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

शून्य

कुल - 00

अध्याय-तीन

iii. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

क्र.सं. 10

कुल– 01

अध्याय-चार

iv. टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है:

शून्य

कुल– 00

अध्याय-पांच

4. समिति ने यह पाया है कि विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' **विषय संबंधी 37वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) 7 मार्च, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया था और उसे उसी दिन राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया और मंत्रालय से तीन माह की अवधि के अंदर अर्थात् 6 जून, 2018 तक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि समिति ने यह पाया है कि मंत्रालय ने 2 वर्ष 2 माह के विलंब के पश्चात 10 अगस्त, 2020 को अपेक्षित की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। समिति को की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने में मंत्रालय की ओर से हुए असाधारण विलंब की समिति निंदा करती है।**

समिति अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्रालय को सचेत करती है कि वह समिति को समय पर उत्तर प्रस्तुत करने में अत्यधिक सावधान और सतर्क रहे तथा मंत्रालय में सभी संबंधितों को भविष्य में समिति को उत्तर देने की सीमा का सख्ती से पालन करने के आवश्यक अनुदेश जारी करे। समिति यह और चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई विवरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति अब अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई, जिन्हें या तो दोहराए जाने की आवश्यकता है या फिर जिनपर आगे टिप्पणी करने आवश्यकता है, पर विचार करेगी।

(सिफारिश सं. 1)

कार्य बल का गठन

6. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की थीः

"समिति ने यह नोट करती है कि विद्युत उत्पादन को लाइसेंस मुक्त निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन की ओर आकर्षित करने के लिए किया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि देश ऊर्जा और व्यस्तम घंटों में विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा था। क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (केन्द्र और राज्य) दोनों से अपेक्षित सीमित क्षमता वृद्धि के साथ ठोस पूंजी वृद्धि की आवश्यकता है। देश की मांग के साथ गति बनाए रखने के लिए विद्युत उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक हो गई थी। 11वीं योजना के दौरान, निजी उत्पादन कंपनियों ने विद्युत उत्पादन में केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों को मिलाकर उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और अपना पर्याप्त योगदान दिया। बारहवीं योजनावधि के दौरान भी निजी क्षेत्र ने सरकार के क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान दिया है। उनके इस क्षेत्र में योगदान से देश विद्युत की कमी की स्थिति से अधिशेष विद्युत की स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए यह सरकार का कर्तव्य है कि वह विभिन्न कारकों से अटकी क्षमता सृजन जो उन्हें एनपीए बनाने के लिए बाध्य कर रही है का सही प्रकार से कार्य सुनिश्चित करे। समिति, इसलिए सिफारिश करती है कि उन्हें एनपीए/स्ट्रैस्ड आस्तियां से बाहर निकालने के उद्देश्य से आईपीपी की समस्याओं को विशेष रूप से देखने के लिए एक उपयुक्त कार्यदल का गठन किया जाए ताकि देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाया जा सके और सभी को 24X7 विद्युत प्रदान करने की परिकल्पना को शीघ्र ही साकार किया जा सके।"

7. अपने की गई कार्रवाई उत्तर में मंत्रालय ने निम्नानुसार बतायाः

"सरकार ने दिनांक 29.07.2018 के अपने पत्र द्वारा देश में संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित करने का निर्णय लिया था। समिति की संरचना इस प्रकार थी:

i. मंत्रिमंडल सचिव – प्रमुख
ii. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड – सदस्य
iii. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य
iv. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य
v. सचिव, विद्युत मंत्रालय – सदस्य (संयोजक)
vi. सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य
vii. सीएमडी, भारतीय स्टेट बैंक – सदस्य
viii. सीएमडी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन – सदस्य

ix सीएमडी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन – सदस्य

x सीएमडी, पंजाब नेशनल बैंक – सदस्य

xi. सीएमडी, आईसीआईसीआई बैंक – सदस्य

2. समिति के संदर्भ में शर्तें इस प्रकार थीं:

क. संकट को हल करने और निवेश की दक्षता को अधिकतम करने की दृष्टि से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की प्रकृति का आकलन करना।

ख. संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए ईंधन लिंकेज/आवंटन नीति/अन्य मोड में किए जाने की आवश्यकता है।

ग. इन संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाना।

घ. टैरिफ याचिकाओं/विवादों के तेजी से निपटान की सुविधा के लिए नियामक ढांचे/प्रशासनिक उपायों में आवश्यक परिवर्तन का सुझाव देना और एपटेल एवं अन्य अदालतों के समक्ष विवादों के लंबन के दौरान अंतरिम भुगतान सुनिश्चित करना।

ङ. डिस्कॉमों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, आईपीपीके लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र का सुझाव देना।

च. परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) विनियमों में आवश्यक परिवर्तनों सहित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की सुविधा के लिए प्रावधान मानदंड/दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में आवश्यक परिवर्तन।

छ. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित कोई अन्य उपाय ताकि गैर-निष्पादन परिसम्पत्ति (एनपीए) बनने से बचा जा सके।

3. एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डाली गई। तत्पश्चात्, सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिफारिशें दीं। 07.03.2019 को, सरकार ने मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया। तदोपरांत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सरकार का अनुमोदन अधिसूचित कर दिया। सरकार द्वारा अनुमोदित जीओएम की सिफारिशें क्रियान्वयनाधीन है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।"

8. समिति ने देश में विद्युत क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व और योगदान को समझते हुए यह सिफारिश की थी कि विशेष रूप से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक उपयुक्त कार्य बल बनाया जाए/गठित किया जाए ताकि उन्हें संकट ग्रस्त/ गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की सूची से बाहर निकाला जा सके। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार ने देश में संकटग्रस्त थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) का गठन 29 जुलाई, 2018 को किया था। एचएलईसी ने 12 नवम्बर, 2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् सरकार ने एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन एचएलईसी की विशेष सिफारिशों की जांच करने के लिए किया। मंत्री समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिफारिशें की। 07 मार्च, 2019 को सरकार ने मंत्री समूह

(जीओएम) की सिफारिशों को अनुमोदित किया। तदनन्तर, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 के अपने का.ज्ञा. के द्वारा सरकार के अनुमोदन को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने मंत्री समूह द्वारा की गयी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी है।

समिति संकटग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के मुद्दे का समाधान करने के लिए उपयुक्त स्तर पर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को नोट करती है। समिति द्वारा मंत्रियों के समूह द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच से पता चलता है कि सरकार ने उन दो मुख्य मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया है जिनका सामना आईपीपी कर रहे हैं यथा विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति तथा राज्यों/डिसकॉमस के साथ खरीद समझौते। समिति सरकार से सहमत है और विश्वास प्रकट करती है कि इन दोनों मुद्दों के समाधान से उन्हें काफी हद तक संकट से उबरने में सहायता मिलेगी। तथापि जमीनी स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाना आवश्यक है। अतः समिति चाहेगी कि उसे इस बात से अवगत कराया जाए कि विद्युत क्षेत्र में संकट (स्ट्रैस)/एनपीए के मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास कितने प्रभावशाली हैं और यह भी बताया जाए कि मंत्रियों के समूह द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन से कितने विद्युत संयंत्रों को संकट से बाहर निकाला गया है।

(सिफारिश सं. 8)

भारत में कोयले के दोहन और आवंटन की पारदर्शी योजना नीति (शक्ति)

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

समिति यह नोट करती है कि बातचीत के दौरान एक जानकारी यह दी गई है कि कोयले की कोई कमी नहीं है और सरकार द्वारा प्रतिपादित शक्ति योजना सभी मौजूदा और भावी संयंत्रों के लिए कोयले की आबंटन की व्यवस्था करेगी। समिति को यह भी बताया गया कि ऐसे कोई विद्युत संयंत्र नहीं हैं, जिनमें पीपीए हो, लेकिन कोयला लिंकेज न हो। चौंतीस स्ट्रैस्ड विद्युत परियोजनाओं के स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ बातचीत के दौरान, समिति को बताया गया कि तीन महीने बाद भी लैटर एश्योरेंस जारी नहीं किया गया है। समिति ने उस ढंग पर अपनी पीड़ा जाहिर की है, जिस ढंग से शक्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है और पात्र प्रमोटरों को कोयला मुहैया कराने के लिए समय लिया जा रहा है। समिति को यह जानकारी भी दी गई है कि कोयला आबंटन नीति और कोयले के ई-ऑक्शन के संबंध में कोई सांजस्य नहीं है। इसने इन पर विपरीत प्रभाव डाला है। यद्यपि, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) में कुछ स्थितियों को पूरा करने पर एलओए को एफएसए में स्वतः परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है, लेकिन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड ने एफएसए पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। यह वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और सभी संबंधितों को इस पर तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें विशाल स्टॉक जुड़ा है। विद्युत उत्पादकों के बीच कोयले की उपलब्धता और आबंटन को लेकर वाजिब आशंकाएं हैं। हाल के अध्ययन दौरे के दौरान स्वयं समिति ने यह पाया कि एनटीपीसी संयंत्र में कोयले की उपलब्धता की स्थिति गंभीर है और एनटीपीसी के कुछ अन्य संयंत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। यह कोल इंडिया के दावे को पूरी तरह नकारती है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। समिति यह आशा करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड बड़े-बड़े आधारहीन दावे करने की बजाय इन मुद्दों को गंभीरता से लेगा। शक्ति योजना के कार्यान्वयन में विलंब नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसके उत्तरप्रभाव विनाशकारी होंगे। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रत्येक विकासकर्ता को समयबद्ध ढंग से कोयले की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने का हर प्रयास करे।

विकासकर्ताओं को कोयला मुहैया कराने के लिए ऐसी समय सीमा को आम जानकारी के लिए भी अधिसूचित किया जाए।

10. मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया–

"पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में कोयला आधारित ताप संयंत्रों द्वारा कोयले की खपत और कुल प्राप्ति (घरेलू एवं आयातित) का विवरण निम्नानुसार हैः

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	प्राप्ति					खपत
	घरेलू	आयातित			कुल प्राप्ति	
		सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए	आयातित कोयला आधारित संयंत्र	कुल आयातित		
2016-17	494.8	19.8	46.3	66.1	560.9	574.3
2017-18	538.6	17.0	39.4	56.4	595.0	608.0
2018-19	582.1	21.4	40.3	61.7	643.7	628.9
2020-21	569.5	23.8	45.5	69.2	638.7	622.2

1.1 जैसाकि ऊपर देखा जा सकता है, वर्ष 2019-20 के दौरान, जिसमें अल्प कमी दर्शाई गई है घरेलू कोयले की प्राप्ति में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान, घरेलू स्रोतों से प्राप्त 569.5 मीट्रिक टन की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में घरेलू कोयले की खपत 577.3 मीट्रिक टन हुई जबकि 23.8 मीट्रिक टन कोयले केसम्मिश्रण के उद्देश्य से आयात किया गया था। जैसाकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, देश में घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार दर्ज करते हुए खदानों के पास 75 मीट्रिक टन का और संयंत्रों के पास 45 मीट्रिक टन का प्रारंभिक माल उपलब्ध है।

1.2 उत्पादन लक्ष्य के आधार पर, वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू कोयले से अभिकल्पित संयंत्रों की कोयला आवश्यकता का अनुमान लगभग 645 मीट्रिक टन है।वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न घरेलू स्रोतों से कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता 645 मीट्रिक टन की आवश्यकता की तुलना में लगभग 668 मीट्रिक टन है, जिसमें सीआईएल से 550 मीट्रिक टन, सिंगरेनी कोल कॉलरीज लिमिटेड (एससीसीएल) से 55 मीट्रिक टन और सीमित स्रोतों से 63 मीट्रिक टन आदि शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता आवश्यकता की तुलना में अधिक है, लागत अर्थव्यवस्थाओं और परिवहन प्रचालन तंत्र के आधार पर सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात की बहुत कम आवश्यकता हो सकती है।इसके संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने सभी उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) जो भी सम्मिश्रण उद्देश्य से कोयला का आयात करता हो, से अनुरोध किया है कि,घरेलू कोयले के साथ अपने आयात को परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे। वर्तमान में, दिनांक 18.06.2020 की स्थिति के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के पास उपलब्ध 49.31 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक लगभग 28 दिनों तक टीपीपी के जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।

1.3 घरेलू कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए, उनकी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए और घरेलू कोयले की उपलब्धता में आई कमी, यदि कोई हो तो, को पूरा करने के लिएकोयले का आयात करते हैं।तथापि, घरेलू कोयले की प्राप्ति की तुलना में सम्मिश्रण के लिए आयातित कोयले की मात्रा बहुत कम है।इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र, अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं क्योंकि वह आयातित कोयले से ही संचालित होने के लिए बने हैं।इसके अतिरिक्त, कोयले का आयात निर्बाध सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत हैं, और इसलिए, विद्युत यूटिलिटियां अपनी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती हैं।सीआईएल के दिनांक 05.02.2019 के आयात प्रतिस्थापन सूचना के अनुसार, विद्युत यूटिलिटों के पास आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति करने का विकल्प दिया गया है ताकि वे वित्त वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) की तुलना में आई कमी को पूरा कर सकें।तदनुसार, सीआईएल ने दिनांक 27.05.2019 को वर्ष 2019-20 के लिए भी आयात प्रतिस्थापन से संबंधित दूसरी सूचना जारी कर दी है।

1.4 तथापि, सरकार सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात को कम करने और उसे घरेलू कोयले से परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कोयले का आयात दुर्लभ विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की जरूरत पर बल देता है।इसके लिए, विद्युत मंत्रालय ने जेनकोस को सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले का उपयोग करने के सर्वोत्तम प्रयास हेतु पत्र लिखा है।इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे ई-सुविधा केंद्र के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की स्थापना करे ताकि जेनकोस द्वारा उठाए गए मामलों के निपटान और जरूरी मंजूरियों की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ताकि वे सम्मिश्रण उद्देश्यों हेतु आयातित कोयले के बदले घरेलू कोयले का उपयोग करने में सक्षम हो जाए।इसके अतिरिक्त, अपर सचिव (कोयला मंत्रालय) की अध्यक्षता में कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है।

1.5 विद्युत क्षेत्र को आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की कुल संख्या 65 है। इन 65 कोयला ब्लॉकों में से, तीन कोयला ब्लॉकों को वापिस सौंप दिया गया है और कुल 11 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है।

1.6 मई, 2016 को सरकार ने परिवहन लागत में बचत और सबसे कुशल संयंत्र के संचालन के माध्यम से विद्युत उत्पादन लागत को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। राज्य/केंद्रीय जेनकोस के पास अपने ही विद्युत संयंत्रों में कोयले का सबसे कुशल और किफायती तरीके से उपयोग करने के साथ-साथ सस्ती विद्युत उत्पादन हेतु अन्य राज्य जेनकोस/केंद्रीय जेनकोस/आईपीपी उत्पादन स्टेशनों को कोयला अंतरित करने का लचीलापन है।

1.7 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 मई, 2017 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) नामक एक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति का अनुमोदन किया है। शक्ति नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए लिंकेज हैं:

(क) **शक्ति नीति पैरा ख(i):** केन्द्री य/राज्यो क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया।

(ख) **शक्ति नीति पैरा ख(ii):** 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्ति के ख(ii) (आईपीपी परियोजनाएं जिनके पास पीपीए है लेकिन कोई लिंकेज नहीं है)के पहले चक्र के अंतर्गत और 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख(ii) के दूसरे चक्र के अंतर्गत कोयला

लिंकेज आबंटित किए गए। शक्ति के ख(ii) के तीसरे चक्र में, 11.05.2020 को नीलामी आयोजित की गई, 5 आईपीपी ने कुल 3.48 मीट्रिक टन मात्रा बुक की है।

(ग) **शक्ति नीति पैरा ख(iii):** बोली 05 से 07 फरवरी, 2020 तक आयोजित की गई। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट में से) की क्षमता के गैर-पीपीए ने 6.49 मीट्रिक टन का लिंकेज हासिल किया।

(घ) **शक्ति नीति पैरा ख(iV):** गुजरात राज्य को 4,000 मेगावाट, उत्तघर प्रदेश राज्य को 1,600 मेगावाट और मध्यर प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट के लिए प्रदत्तर कोयला लिंकेजों का टैरिफ आधारित प्रतिस्प र्धी नीलामी के माध्यखम से आबंटन किया जाएगा।

(ङ) ख(V) के अंतर्गत, समूहक (पीएफसी) ने टैरिफ आधारित बोली के लिए समूहक मांग हेतु कोयला लिंकेज (10 मी.टन) आबंटित किया है।

(च) शक्ति नीति पैरा ख(Vii)(क): विद्युत मंत्रालय द्वारा 02.12.2019 को कार्यपद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता और 8145 मेगावाट की गैर-पीपीए क्षमता के लिए 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए। सीआईएलने 19.03.2020 को ट्रांचे-I नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5.77 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 1.34 मीट्रिक टन को एक शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए शक्ति ख(Vii) (क) के तहत दूसरे दौर की नीलामी के लिए, 4.51 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 0.74 मी. टन को 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है।

1.8 इस प्रकार, यह नोट किया जाए किए कि सरकार द्वारा उपलब्ध कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।"

11. **समिति ने अपने 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में यह नोट किया था कि विद्युत संयंत्रों के लिये कोयले की उपलब्धता/आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये शक्ति योजना लागू करने के साथ-साथ सरकार द्वारा अन्य प्रयास भी किये जा रहे हैं। तथापि, उन्होंने यह भी नोट किया था कि सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बावजूद अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण विद्युत संयंत्रों को कोयले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक विकासकर्त्ता को समयबद्ध ढंग से कोयले की अपेक्षित मात्रा, उपलब्ध करायी जाए। अब मंत्रालय ने उनके द्वारा उठाए गए उन सभी कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जिनके माध्यम से विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता उपलब्धता सुनिश्चत की जा रही है। समिति को जानकारी दी गई है कि कोयले की कमी नहीं है, यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। समिति इस बात क संज्ञान लेती है कि सरकार द्वारा विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं तथापि वे यह भी जानते हैं कि कोयले की उपलब्धता एक चीज़ है तथा विद्युत संयंत्रों को इसकी वास्तविक आपूर्ति एक अलग चीज़ है। मंत्रालय से यह भी अपेक्षित था कि वे उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा भी देंगे जिन्हें आवश्यक मात्रा में कोयले की प्राप्ति नहीं हो रही है/हो रही थे और इसके कारण भी बतायेंगे। समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से पर्याप्त मात्रा में कोयले की उपलब्धता में आ रही बाधाओं को दूर कर लिया जायेगा तथापि समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि उसे उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया जाए जो किसी भी कारण से अभी भी इस संबंध में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।**

एनपीए पर अंतर-मंत्रालीय समूह

(सिफारिश सं. 9)

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में यह सिफारिश/टिप्पणी की थी:–

"समिति यह नोट करती है कि यद्यपि उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त गतिविधि है, फिर भी विद्युत अधिनियम, 2003 में सरकार की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। विद्युत अधिनियम में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के गठन और आंकड़ों और रिटर्न के लिए इसके कार्य, कर्तव्य और शक्ति विहित की गई है। राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के अतिरिक्त, यह विद्युत प्रणाली के विकास, राष्ट्रहित में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए योजना एजेंसियों के कार्यकलापों में समन्वय तथा सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और धारणीय बिजली मुहैया कराने, ग्रिड से वैद्युत संयंत्र कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए तकनीकी मानकों के निर्धारण, निर्माण हेतु सुरक्षा आवश्यकताओं, संयंत्र के प्रचालन और अनुरक्षण तथा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संदर्शी योजना भी बनाता है। इसके पास बिजली व उत्पादन, पारेषण अथवा विकास के उद्देश्य के लिए किसी प्रकार भी जांच करने की शक्ति भी है। समिति की राय में, कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिनका उपयोग इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन के लिए लाइसेंसों के अभाव ने विकासकर्ताओं को ही एक अप्रासंगिक औपचारिकता छोड़ने का एक अवसर प्रदान किया है क्योंकि अगर हम प्रतिस्पर्धा प्रभाविता, पारदर्शिता और विकास आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमें इस क्षेत्र को खोलना होगा। इससे संबद्ध शेष कार्यकलाप वैसे ही हैं और प्रोत्साहनात्मक और विनियामक ढांचे को नहीं छेड़ा गया है। यह सुनिश्चित करना विद्युत मंत्रालय का उत्तरदायित्व है कि प्रोत्साहनात्मक और विनियामक कार्यकलाप अपेक्षित ढंग से किए जाएं। वे अपनी भूमिका और दायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकते कि उत्पादन लाइसेंस मुक्त हो गया है। मंत्रालय और इसके संबद्ध निकाय इस क्षेत्र की परेशानियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए सक्रिय हो जाएं और मंत्रालय का अंतरमंत्रालयी समूह इस क्षेत्र की ग्रस्त करने वाली विभिन्न रुग्णताओं के लिए विशेष उपचारों का सुझाव दें। यह आशा की जाती है कि अंतरमंत्रालयी समूह के विचार/सुझाव वास्तविक, विद्युत क्षेत्र के अनुकूल और इसके विकास को बढ़ावा देने वाले हों।"

13. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्यवाही रिपोर्ट में निम्नवत बताया:–

"सरकार ने देश में संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक **उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी)** गठित करने का निर्णय लिया था। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डाली गई। तत्पश्चात्, सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिफारिशें दीं। सरकार ने, मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) की सिफारिशों का अनुमोदन 07.03.2019 को कर दिया। तदोपरांत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सरकार का अनुमोदन अधिसूचित कर दिया। सरकार द्वारा अनुमोदित जीओएम की सिफारिशें क्रियान्वयनाधीन है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।"

2. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा 34 संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं किया गया विश्लेषण निम्नानुसार हैः–

i. कुल 16,450 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाओं का समाधान हो गया है।

ii. कुल 16,270 मेगावाट क्षमता की 13 परियोजनाएं समाधान के विभिन्ना चरणों में हैं।

iii. कुल 7,410 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाएं निर्माण के अति प्रारंभिक स्तर पर हैं और पूर्णरूप से बंद हैं। ऐसी परियोजनाओं को या तो परिसमापन का आदेश दे दिया गया है अथवा परिसमापन की दिशा में अग्रसर हैं।

2.1 इनका सार निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई (मेगावाट)	जोड़ा गया पीपीए (मेगावाट)	जोड़ा गया ईंधन (मेगावाट)
I	हल किए गए	14	16,450	15850	10746	13122
II	हल किए जाने के लिए संभावित	13	16,270	10269	6817	10654
III	परिसमापन के लिए शीर्षक	7	7,410	135	1484.5	971
	कुल	34	40,130	26,254	19,047.5	24,747

2.2 विस्तृत स्थिति **अनुबंध-ख** पर संलग्न है।

3. ताप विद्युत क्षेत्र में संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नालिखित उपाय किए गए हैं:

i. 204 कोयला ब्लॉकों के निरस्तीकरण के बाद, भारत सरकार ने उचित एवं पारदर्शी विधि से निरस्त कोयला खदानों के पुन: आबंटन के लिए एक पारदर्शी नीति निरूपित की है। सरकार ने आज तक नीलामी/आबंटन के माध्यम से 62 ब्लॉकों का पुन: आबंटन किया है।

ii. विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर, कोयला मंत्रालय ने 13.04.2016 के पत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए एक अलग ई-नीलामी विंडो शुरू की है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) नियमित अंतराल पर पर्याप्त मात्रा पेश करते हुए दीर्घकालीन आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से कोयले की विशिष्टन अग्रवर्ती ई-नीलामी (एसएफईए) के आयोजन की व्यवस्थाए कर रही है ताकि ऐसे विद्युत संयत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्धय कराया जाए। सीआईएल ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को विशिष्ट अग्रवर्ती ई-नीलामी (एसएफईए) के माध्यरम से 27.12 मिलियन टन कोयला आबंटित किया है।

iii. विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्धि कराई गई जानकारी के आधार पर, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.02.2016 के पत्र द्वारा केन्द्रीरय एवं राज्यन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत के साथ-साथ गैर-विद्युत क्षेत्र दोनों) के विशिष्टि अंतिम उपयोग संयत्रों को जिन्हें कोयला खदानें अथवा ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रिज लिंकेज अनुप्रयोग अनुमोदित कर दिए गए हैं।

iv. **शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेजः** 17 मई, 2017 को, सरकार ने विद्युत क्षेत्र को लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्तिन (भारत में पारदर्शीढंग से कोयले के उपयोग और आवंटन की योजना) नीति की स्कीम शुरू की। शक्ति नीति के अंतर्गत निम्नानुसार लिंकेज प्रदान किए गए:

क. **शक्ति नीति पैरा ख (i)**: केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया।

ख. **शक्ति नीति पैरा ख (ii)**: 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्तिव के ख (ii) (आईपीपी परियोजनाएं जिनके पास पीपीए है लेकिन कोई लिंकेज नहीं है) के पहले चक्र के अंतर्गत और 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख (ii) के दूसरे चक्र के अंतर्गत कोयला लिंकेज आबंटित किए गए। शक्ति i के ख (ii) के तीसरे चक्र में, 11.05.2020 को नीलामी आयोजित की गई, जिसमें 5.66 मीट्रिक टन के पेशकश में से कुल 3.48 मीट्रिक टन मात्रा बुक की है।

ग. **शक्ति नीति पैरा ख(iii)**: 05 से **07** फरवरी, 2020 तक बोली आयोजित की गई। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट में से) की क्षमता के गैर-पीपीए ने 6.49 मीट्रिक टन का लिंकेज हासिल किया।

घ. **शक्ति नीति पैरा ख(iv)**: गुजरात राज्य को 4,000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश राज्य को 1,600 मेगावाट और मध्य प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट के लिए प्रदत्त कोयला लिंकेजों का टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जाएगा।

ड़. **ख(v)** के अंतर्गत, समूहक (पीएफसी) ने टैरिफ आधारित बोली के लिए समूहक मांग हेतु कोयला लिंकेज (10 मी.टन) आबंटित किया है।

च. **शक्ति नीति पैरा ख(viii)(क):** विद्युत मंत्रालय द्वारा 02.12.2019 को कार्यपद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता और 8145 मेगावाट की गैर-पीपीए क्षमता के लिए 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए। सीआईएल ने 19.03.2020 को ट्रांचे-I नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5.77 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 1.34 मीट्रिक टन को एक शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए शक्ति ख(viii) (क) के तहत दूसरे दौर की नीलामी के लिए, 4.51 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 0.74 मी. टन को 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है।

3.1 **2500** मेगावाट विद्युत की खरीद हेतु प्रायोगिक परियोजना: देश में विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्याए का समाधान करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने संयुक्त क्षमता वाली चालू की गई परियोजनाओं वाले विद्युत उत्पाकदकों से **3** वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर 2500 मेगावाट की खरीद की स्कीम अधिसूचित की है।

क. **पहला चक्र (**2500 **मेगावाट):** सभी सफल बोलीकर्ताओं को लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए (1900 मेगावाट) – 1900 मेगावाट के लिए पीपीए हस्ता्क्षर किए गए।

ख. **दूसरा चक्र (**2500 **मेगावाट):** कुल 6000 मेगावाट क्षमता के लिए 21 बोली लगाने वालों से बोली प्रतिभूति प्राप्त हुई। बोली 07.02.2020 को खोली गई। 2500 मेगावाट क्षमता के 12 बोलीकर्ता सफल हुए। तमिलनाडु राज्य ने 500 मेगावाट की खरीद के लिए इच्छा व्यक्त की।

3.2 **भुगतान सुरक्षा तंत्र:** मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2019 को आदेश जारी किया और दिनांक 17.07.2019 को शुद्धि पत्र जारी किया। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (एनएलडीसी एवं आरएलडीसी) को विद्युत उत्पादन कंपनियों और वितरण कंपनियों को, यह सूचित किए जाने के बाद ही कि वांछित विद्युत की मात्रा के लिए साख पत्र (एलसी) खोल दिया गया है, विद्युत प्रेषण करने के लिए निदेशित किया गया है। इससे डिस्कॉमों द्वारा विद्युत उत्पाणदकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

3.3 उपरोक्त के मद्देनजर, यह नोट किया जाए कि विद्युत मंत्रालय विद्युत क्षेत्र में संकट कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। यह देखा जा सकता है कि सरकार ने पायलट योजनाओं के माध्यम से कोयला लिंकेज या पीपीए की पेशकश के लिए उन्हें विकल्प साबित करने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करके इन परिसंपत्तियों को मानक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी यदि वह ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है।

4.1 चूंकि, विद्युत उत्पाकदन एक अनुज्ञप्ति रहित गतिविधि है, विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय संबंधित विकासकर्ता द्वारा बाजार परिस्थितियों, भविष्यर में विद्युत की मांग, वित्तीय विकल्पों, परियोजना की व्यवहार्यता आदि के उसके मूल्यांकन पर आधारित होता है। परियोजना का वित्त पोषण करने के उद्देश्य से, विकासकर्ता और ऋणदाता के बीच आपसी वार्ता एवं सहमति के आधार पर वित्तीय करार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और जोखिम को पूरी तरह से विकासकर्ता एवं ऋणदाता द्वारा वहन किया जाता है। ऋणदाता सामान्यत: बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के प्रचलित ऋण मानकों के आधार पर परियोजना वित्तपोषण लागत का आकलन एवं मूल्यांकन करने के लिए एक परियोजना अभियंता नियोजित करता है। विद्युत मंत्रालय ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तीय बंधन में कोई भूमिका नहीं निभाता है।

4.2 यह जांच करने के लिए कि क्या। विकासकर्ता ओएंडएम व्यनयों को छुपा रहा है, प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्ययों के लिए प्रति मेगावाट आधार पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के प्रचलित मानक पहले से ही उपलब्ध हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि बैंकर परियोजना के नकदी प्रवाह की निगरानी हेतु विशिष्ट परियोजना के लिए ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता का अभियंता नियुक्त किया जाता है।

4.3 एचएलईसी द्वारा संकट के कारणों के रूप में यथा अभिनिर्धारित क्षेत्रीय मुद्दों का सरकार द्वारा किए गए विभिन्नम नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्याम से समाधान कर लिया गया है।

4.4 शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) तथा राष्ट्रीधय कंपनी कानून न्याायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यतम से संकटग्रस्त परिसंपत्तिपयों के समाधान की प्रक्रिया इस नोट के अनुबंध-ग पर दी गई है। अनुबंध-ग से यह देखा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा शोधन अक्षमता और दिवाला अधिनियम अथवा एनसीएलटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संकटग्रस्त परियोजनाओं का समाधान किया जाता है। ऋणदाता द्वारा समाधान प्रक्रिया की निगरानी वितीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) जो सभी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, द्वारा की जाती है। एनसीएलटी की संरचना और भूमिका कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आती है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि परियोजना विकासकर्ता/ऋणदाता गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में उपरोक्त दो समाधान प्रक्रियाओं के तहत

प्रतिकार की मांग कर सकते हैं। यह नोट करना प्रासंगिक है कि आईबीसी/एनसीएलटी के माध्यम से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की उक्त प्रक्रिया में विद्युत मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

14. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास व्यापक शक्तियां हैं जिनका प्रयोग इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है, समिति की राय थी कि यह सुनिश्चित करना विद्युत मंत्रालय का उत्तरादायित्व है कि प्रोत्साहनात्मक और विनियामक कार्यकलाप अपेक्षित ढंग से किये जायें। वे अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकते हैं कि उत्पादन लाइसेंस मुक्त हो गया है। इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि ऊर्जा मंत्रालय और उसके सांविधिक संगठनों को इस क्षेत्र की परेशानियों को समझने और दूर करने में सक्रिय होना चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को गिनाया है जिनमें उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) /मंत्री समूह (जीओएम) की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। उन्होंने मंत्रालय के सांविधिक संगठनों विशेषकर सीईए को समिति की अपेक्षानुसार सक्रिय बनाने के लिए उसके कार्यकरण में किए गए/प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। समिति की दृढ़ राय है कि बिजली क्षेत्र में संकटग्रस्त/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के मामले की जांच करने, इसके कारणों और जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए के अलावा ऐसी परिस्तथितयों की पुनरावृत्ति रोकने लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों/एनपीए की स्थिति के लिए कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति/उपलब्धता, बिजली खरीद समझौतों से संबंधित मुद्दे, कार्यशील पूंजी की कमी आदि जैसे कारण उत्तरदायी हैं। हालांकि, समिति का मानना है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की असावधानी के कारण कई ताप विद्युत परियोजनों को थोड़े ही समयांतराल में चालू करने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को वर्तमान परिस्थितियों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्योंकि वे विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालिक और भावी योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए योजना एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय से जुड़े हैं। विद्युत क्षेत्र में हाल के विकास को ध्यान में रखते हुए जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसकी प्रकृति आंतरायिक होने के कारण यह विद्यमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग को रोक सकता है। समिति को चिंता है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यमान उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का प्रभुत्व है और जल विद्युत की हिस्सेदारी अपेक्षा से कम है समिति इस बात से अवगत है कि एक मजबूत, टिकाऊ और कुशल विद्युत क्षेत्र के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता का मिश्रण आदर्श स्थिति होगी । यद्यपि विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस मुक्त गतिविधि है, लेकिन इसमें एकांगी विकास होने देना किसी तरह देश हित में भी नहीं है। अतः समिति पुनः जोर देती है कि विद्युत मंत्रालय और उसके सांविधिक संगठनों को इस क्षेत्र की परेशानियों को समझने और दूर करने में सक्रिय होना चाहिए। समिति को आशा है कि मंत्रालय प्रणाली में जवाबदेही के उपबंधों के साथ-साथ अपनी कार्यप्रणाली में वास्तविक बदलाव लाने के लिए एक कार्य योजना बनायेगा।

(सिफारिश सं. 10)

विनियामक मुद्दे

15. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी–

"समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में स्ट्रैस से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए हैं। ऋणदाताओं और अन्य लोगों के साथ जुलाई, 2015 से कई बैठकें हुई हैं लेकिन अब तक ठोस परिणाम नहीं आए हैं। समिति यह महसूस करती है कि वित्तीय मामलों के अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न

प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक/विनियामक मुद्दों के कारण भी स्ट्रैस होता है। विनियामक मामले बिना किसी समीक्षा के लिए वर्षों से लंबित हैं। यहां तक कि वितरण कंपनियों द्वारा विधि में परिवर्तन के संबंध में विनियामक निकायों के निर्णयों को नहीं माना जाता है और विधि में परिवर्तन की व्याख्या विभिन्न विनियामकों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से की जाती है जिससे इस क्षेत्र में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। विधि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी स्थिति सभी जगह एक सी होनी चाहिए और यदि संभव हो सके तो इसे विनियामकों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए। समिति को इस बात की जानकारी है कि यह एक समवर्ती विषय है और उत्पादन अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्यकलाप नहीं है लेकिन इन सीमाओं के भीतर ही, इस क्षेत्र को स्थिर बनाने के लिए कोई एकरूप तंत्र खोजना और स्थापित करना पड़ेगा। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सुमचित कदम उठाए जाने चाहिए कि विधि में परिवर्तन की स्थिति से उत्पन्न आदेशों के संबंध में सततता और एकरूपता हो। इस बारे में भी प्रावधान किए जाने चाहिएं कि विनियामकों के मामलों को एपीटीईएल/उच्चतर न्यायालय में उनके विचारार्थ और निर्णयार्थ ले जाने की स्थिति में डिस्कॉमों द्वारा विनियामकीय भुगतान का कुछ प्रतिशत वहन किया जाए।"

16. मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाही रिपोर्ट में बताया है–

"कानून में परिवर्तन के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.01.2016 को अधिसूचित टैरिफ नीति के पैरा 6.2.4 के अनुसार बोली प्रदान करने के पश्चात, यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और कर में कोई भी बदलाव होता है या किसी भी सरकारी साधन द्वारा लागत में संबंधित परिवर्तन होते हैं तोइसे 'कानून में परिवर्तन' के रूप में माना जा सकता है, और जब तक कि पीपीए में अन्यथा प्रदान न किया जाए, उपयुक्त आयोग की मंजूरी के अधीन इसे एक पास-थ्रू के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

2. निर्णयों में एकरूपता के संदर्भ में, कानून में परिवर्तन के बारे में विनियामक आदेश मुख्य रूप से पीपीए के प्रावधानों पर, साथ ही इन प्रावधानों की व्याख्या पर भी निर्भर करते हैं। विद्युत अधिनियम में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य/संयुक्त विद्युत आयोगों के बीच एक पदानुक्रमित संबंध की परिकल्पना नहीं की गई है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) अपनी-अपनी व्याख्या प्रदान कर सकते हैं। तथापि, असंतुष्ट पक्ष विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपटेल) से संपर्क करने/सर्वोच्च न्यायालय में एसईआरसी/जेईआरसी के फैसले को चुनौती देने, जैसा भी मामला हो, के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, एपटेल/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एसईआरसी/जेईआरसी के सभी क्षेत्राधिकारों में समान रूप से लागू हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि "कानून में परिवर्तन" के बारे में मामलों की संख्या का निर्धारण एपटेल द्वारा किया गया है और यह सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

3. सिफारिश के संदर्भ में जब उच्च न्यायिक फोरम में आदेश को चुनौती दी जाती है तो निश्चित प्रतिशततामें भुगतान किया जाना चाहिए। यह नोट किया जाए कि विद्युत अधिनियम विनियामक आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज करते समय विनियामक देयताओं की कुछ प्रतिशतता के भुगतान के प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है, ऐसे प्रावधान पीपीए में किए जाने चाहिए।

4. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27.08.2018 के पत्र द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं:–

(i) यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर या कर में कोई भी बदलाव होता है या किसी भी सरकारी साधन द्वारा लागत में संबंधित परिवर्तन

होते हैं, इसे कानून में परिवर्तन के रूप में माना जा सकता है, और जब तक कि पीपीए में अन्यथा प्रदान न किया जाए तो इसे एक पास-थ्रू के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

(ii) केंद्रीय आयोग केवल घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और कर में ऐसे परिवर्तन की प्रति इकाई प्रभाव का निर्धारण करेगा जिसे आगे बढ़ाया जाएगा।

(iii) कानून में परिवर्तन के अंतर्गत प्रति इकाई प्रभाव के निर्धारण हेतु याचिका दायर करने के 14वें दिन से केंद्रीय आयोग द्वारा सभी राज्यों/लाभार्थियों को एक मसौदा आदेश परिचालित किया जाएगा।किसी भी आपत्ति/अभ्यावेदन को उनके द्वारा याचिका दायर करने के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) प्रति इकाई प्रभाव की गणना करते हुए पास-थ्रू आदेश याचिका दायर करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

(v) कानून में इस तरह के परिवर्तन का प्रभाव कानून में परिवर्तन की तारीख से लागू होगा।

(vi) जहां सीईआरसी ने पहले से ही कानून में परिवर्तन के अंतर्गत किसी भी मामले में घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और कर में बदलाव के लिए पास-थ्रू की अनुमति देने के लिए आदेश पारित कर दिया है, तोयह वास्तव में सभी मामलों पर लागू होगा और इस संबंध में कोई अतिरिक्त याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

17. **समिति ने कानून में हुए बदलाव से उत्पन्न आदेशों के संबंध में स्थिरता और एकरूपता की वकालत करते हुए यह भी इच्छा ज़ाहिर की कि नियामकों के आदेशों को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल/उच्च न्यायपालिका के पास उनके विचार तथा निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में डिस्कॉम द्वारा देय नियामक बकायों के भुगतान के कुछ प्रतिशत के लिए प्रावधान बनाया जाए। अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में मंत्रालय ने यह बताया कि नियामक आयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के समय नियामक बकायों के कुछ प्रतिशत के भुगतान के लिए विद्युत अधिनियम किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं करता है इसलिए, इस प्रकार का प्रावधान विद्युत क्रय करार में किया जा सकता है। समिति चाहती थी कि मंत्रालय उसकी सिफारिशों को उनके अपेक्षित लाभों और कमियों को देखते हुए उनकी योग्यता के आधार पर जाँचे तथा उस के आधार पर सिफारिशों को लागू करने की क्षमता के बारे में समिति को अवगत कराया। समिति को यह ज्ञात था कि कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए, उसने इस संबंध में एक प्रावधान बनाए जाने की सिफारिश की थी। अतः, समिति अपनी सिफारिशों को दोहराना चाहती है तथा यह अपेक्षा करती है कि मंत्रालय उनकी सिफारिशों को लागू करने की गंभीरता से जाँच करेगा।**

(सिफारिश सं. 12)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की भूमिका

18. समिति ने अपनी मूल रिपोर्ट में निम्नवत् सिफारिश/टिप्पणी की:–

"समिति यह नोट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत, ऐसे अर्थक्षम खातों के लिए, जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऋणदाता, ऋण के पुनर्गठन पर विचार कर सकते हैं आरबीआई ने दबावयुक्त आस्तियों के निर्वाह्य पुनर्गठन (एस4ए के लिए भी एक नीति बनाई है जो विशाल दबावयुक्त आस्तियों के निपटान के लिए एक वैकल्पिक ढांचा है। एस4ए एक दबावयुक्त ऋणी के लिए एक निर्वाह्य स्तर के निर्धारण की परिकल्पना

करता है और बकाया ऋण का निर्वाह्य ऋण तथा इक्विटी/क्वासी इक्विटी साधनों में विभाजन करता है जिससे यह आशा की जाती है कि ऋणदाता उस समय बेहतर स्थिति में होंगे जब ऋणी संकट की स्थिति में होंगे। समिति की राय में, भारतीय रिजर्व बैंक की यह योजना इस क्षेत्र की सहायता के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है परन्तु वास्तव में, स्थिति उतनी वास्तविक नहीं है जितना इसे बनाने का प्रयास किया गया है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए कारणों के बारे में विभिन्न आईपीपी से बातचीत के दौरान, समिति को यह जानकारी दी गई कि विद्युत क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को वित्त द्वारा ऊंची ब्याज दर, विकासकर्ताओं को ब्याज की चरे प्रदान करने से मनाही, न्यायालय के मामलों ऋणदाता संघ द्वारा निर्णय में विलंब जैसे बाह्य कारणों के चलते लागत वृद्धि, कार्यशील पूंजी का अभाव आदि के कारण बढ़ावा मिल रहा है। ये वित्तीय मुद्दे अपनी प्रकृति में सामान्य हैं लेकिन इनमें परियोजना की व्यवहार्यता को प्रभावित करने की क्षमता है। इन समस्याओं, जिन्हें अगर सुलझा लिया जाए तो इनमें परियोजना को प्रभावित करने की क्षमता है, को सुलझाने के लिए किसी असाधारण उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार की पुनरुद्धार योजनाएं प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए कि सीमांतकारी वित्तीय समावेशन अथवा समायोजन की कमी के चलते विशाल निवेश वाली परियोजनाएं गैर-निष्पादनकारी आस्तियां न बन जाये और ब्याज चर को दबावयुक्त आस्तियों पर हस्तांतरित करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जाए।"

19. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट में निम्नवत बताया:–

"भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21/04/048/ 2017-18 के द्वारा 5/25 - लचीली पुनर्संरचना स्कीम, कार्यनीति ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), बाह्य एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्ति*5*यों की संधारणीय पुनर्संरचना स्कीम (एस4ए) आदि के साथ-साथ संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तंत्र जैसी सभी ऋण पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया है। परिपत्र के अनुसार, ऐसे ऋण खातों में, जहां ऋणदाताओं को कुल जोखिम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जहां खातों को पुनर्संरचित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत पुनर्संरचना चल रही है, समाधान प्रक्रिया को 01 मार्च, 2018 से 180 दिनों के भीतर अथवा 01 मार्च, 2018 के बाद पहले व्यगतिक्रम पत्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। यदि समाधान प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर क्रियान्विभत नहीं किया गया तो ऋणदाताओं को उक्त समय-सीमा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईबीसी (शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता) के अंतर्गत शोधन अक्षमता आवेदन दायर करना होगा।

2. इस परिपत्र को देश भर के उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं के माध्याम से एपीपी, आईपीपीएआई और अनेक विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई, जिन्हें बाद में एक साथ मिला दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने निर्णय में यह घोषणा की कि दिनांक 12.02.2018 का रद्द आरबीआई परिपत्र बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35कक के लिए अधिकारातीत है तथा इसलिए, स्थानांतरित मामलों और याचिकाओं में उठाए गए किसी भी अन्य विवाद में पड़ना अनावश्यक है।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.06.2019 के अपने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में निम्नतलिखित की अनुमति दी:

क. समीक्षा अवधि – जब कभी किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी के व्यातिक्रम में होने की रिपोर्ट दी जाती है, ऋणदाता ऐसे व्यतिक्रम से तीस दिनों के भीतर ऋणी के खाते की प्रथम दृष्टेया समीक्षा शुरू करेगा।

ख. अंतःलेनदार करार (आईसीए): ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना (आरपी) क्रियान्विनत की जानी है, समाधान प्रक्रिया (आरपी) को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन के लिए आधार नियम उपलब्ध कराने के लिए उक्त समीक्षा अवधि के दौरान सभी लेनदार एक आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे।

ग. आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्ये का 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लेनदारों के 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा कोई भी सहमत निर्णय सभी लेनदारों पर लागू होगा।

घ. कोई समाधान प्रक्रिया केवल तभी "क्रियान्वित" मानी जाएगी, यदि ऋणी (स्वामित्व के मामले में कोई पुनर्संरचना/कोई बदलाव के लिए नहीं) समीक्षा अवधि के अंत से 180वें दिन तक किसी भी ऋणदाता के साथ व्यतिक्रम में नहीं होगा। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी तदनंतर व्यतिक्रम को नई समीक्षा प्रवर्तित करने वाला एक नया व्यतिक्रम माना जाएगा।

ङ. समाधान प्रक्रिया के विलंबित क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त प्रावधान:- सभी खातों के लिए-जहां कहीं किसी ऋणी के मामले में एक व्यरवहार्य समाधान प्रक्रिया का नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर क्रियान्वीयन नहीं किया जाता है, सभी ऋणदाता निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा	**अतिरिक्त प्रावधान**
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि शुरु होने से 365 दिन	35%

च. ऋणदाता किसी मामले को आईबीसी के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। वे आईबीसी के बाहर अथवा उसके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया निरूपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि संकटग्रस्त परिसंपत्ति को आईबीसी के पास ले जाया जाता है, यह अतिरिक्त प्रावधानों के निवर्तन के रूप में कतिपय प्रोत्साहन देती है।

छ. आईबीसी के बाहर समाधान के लिए ऋणदाताओं की 100% सहमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।"

20. समिति ने यह सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अथवा सरकार की पुनरूद्धार योजनाएं प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक होनी चाहिए। समिति ने यह भी इच्छा जाहिर की कि यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि सीमांतकारी वित्तीय समावेशन अथवा समायोजन की कमी के चलते विशाल निवेश वाली परियोजनाएं गैर-निष्पादनकारी आस्तियों न बन जाएं और ब्याज दर को दबावयुक्त आस्तियों पर हस्तांतरित करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाए। मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में अब यह बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7.06.2019 के अपने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में विभिन्न कदम उठाए जाने की अनुमति दी है। समिति का यह मानना है कि इन कदमों के उठाए जाने से विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त स्थिति को कम करने में सहायता

मिलेगी। हालांकि, समिति पाती है कि संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कोई विशेष सूचना नहीं है। समिति चाहती है कि छोटी अवधि की व्यवसायिक परेशानियों अथवा विकासकर्ताओं के नियंत्रण से परे अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण कार्यशील पूँजी की आवश्यकता मात्र के लिए विद्युत संयंत्रों को संकटग्रस्त/गैर-निष्पादन-कारी आस्तियों में बदलने नहीं देना चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण विद्युत संयंत्रों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने का विषय और अधिक प्रासंगिक हो गया है। इसलिए, समिति सरकार से इस मुद्दे के समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से आवश्यक कदम उठाए जाने की अपेक्षा करती है।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 1

समिति यह नोट करती है कि विद्युत उत्पादन को लाइसेंस मुक्त निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन की ओर आकर्षित करने के लिए किया है। यह इसलिए किया गया क्योंकि देश ऊर्जा और व्यस्ततम घंटों में विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा था। क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (केन्द्र और राज्य) दोनों से अपेक्षित सीमित क्षमता वृद्धि के साथ ठोस पूंजी वृद्धि की आवश्यकता है। देश की मांग के साथ गति बनाए रखने के लिए विद्युत उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक हो गई थी। 11वीं योजना के दौरान, निजी उत्पादन कंपनियों ने विद्युत उत्पादन में केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों को मिलाकर उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और अपना पर्याप्त योगदान दिया। बारहवीं योजनावधि के दौरान भी निजी क्षेत्र ने सरकार के क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान दिया है। उनके इस क्षेत्र में योगदान से देश विद्युत की कमी की स्थिति से अधिशेष विद्युत की स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए यह सरकार का कर्तव्य है कि वह विभिन्न कारकों से अटकी क्षमता सृजन जो उन्हें एनपीए बनाने के लिए बाध्य कर रही है का सही प्रकार से कार्य सुनिश्चित करे। समिति, इसलिए सिफारिश करती है कि उन्हें एनपीए/स्ट्रैस्ड आस्तियां से बाहर निकालने के उद्देश्य से आईपीपी की समस्याओं को विशेष रूप से देखने के लिए एक उपयुक्त कार्यदल का गठन किया जाए ताकि देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाया जा सके और सभी को 24X7 विद्युत प्रदान करने की परिकल्पना को शीघ्र ही साकार किया जा सके।

सरकार का उत्तर

1. सरकार ने दिनांक 29.07.2018 के अपने पत्र द्वारा देश में संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित करने का निर्णय लिया था। समिति की संरचना इस प्रकार थी:

i. मंत्रिमंडल सचिव – प्रमुख
ii. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड – सदस्य
iii. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य
iv. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग – सदस्य
v. सचिव, विद्युत मंत्रालय – सदस्य (संयोजक)
vi. सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य
vii. सीएमडी, भारतीय स्टेट बैंक – सदस्य
viii. सीएमडी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन – सदस्य
ix सीएमडी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन – सदस्य
x सीएमडी, पंजाब नेशनल बैंक – सदस्य
xi. सीएमडी, आईसीआईसीआई बैंक – सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:

क. संकट को हल करने और निवेश की दक्षता को अधिकतम करने की दृष्टि से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की प्रकृति का आकलन करना।

ख. संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों को ईंधन की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए ईंधन लिंकेज/आवंटन नीति/अन्य मोड में किए जाने की आवश्यकता है।

ग. इन संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाना।

घ. टैरिफ याचिकाओं/विवादों के तेजी से निपटान की सुविधा के लिए नियामक ढांचे/प्रशासनिक उपायों में आवश्यक परिवर्तन का सुझाव देना और एपटेल एवं अन्य अदालतों के समक्ष विवादों के लंबन के दौरान अंतरिम भुगतान सुनिश्चित करना।

ङ. डिस्कॉमों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, आईपीपीके लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र का सुझाव देना।

च. परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) विनियमों में आवश्यक परिवर्तनों सहित संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की सुविधा के लिए प्रावधान मानदंड/दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में आवश्यक परिवर्तन।

छ. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित कोई अन्य उपाय ताकि गैर-निष्पादन परिसम्पत्ति (एनपीए) बनने से बचा जा सके।

3. एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डाली गई। तत्पश्चात्, सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिफारिशें दीं। 07.03.2019 को, सरकार ने मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया। तदोपरांत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सरकार का अनुमोदन अधिसूचित कर दिया। सरकार द्वारा अनुमोदित जीओएम की सिफारिशें क्रियान्वयनाधीन है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई परिशिष्ट-एक के रूप में संलग्न है।"

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दि.* 28/07/2020]

समिति की टिप्पणियाँ

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक का पैरा सं. 8 देखें]

विद्युत क्षेत्र में स्ट्रैस्ड आस्तियां

सिफारिश सं. 2

समिति ने नोट किया कि उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करने से निजी उद्यमियों ने विद्युत उत्पादन में बड़े जोश से प्रवेश किया है। विद्युत क्षेत्र की अपनी निहित अनिश्चितताएं और परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता कई क्षेत्रों पर निर्भर करती है जैसे कि मांग-आपूर्ति संतुलन, पीपीए पर हस्ताक्षर, एफसीए का समर्थन, पारेषण और वितरण नेटवर्क की उपलब्धता, वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत और अन्य नियामक ढांचे किसी भी क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कमी पूरी चेन की वितरण क्षमता को अस्थिर कर सकती है। इसके आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभाव भी होंगे। यदि नीति निश्चितता, स्थिर वित्तीय प्रबंध और पारदर्शी नियामक ढांचे की अनुमति थोड़े फेर-बदल के साथ, दी जाती है, यह पूरी कार्यवाही को अदृष्ट परिणामी के साथ पटरी से उतार देगा। सामाजिक/राजनैतिक मुद्दे, दलों का अनुबंधात्मक दायित्वों से पीछे हटना, और किए गए वादों को न पूरा करना स्थिति को बदतर बनाता है। एनपीए/स्ट्रैस्ड आस्तियों का मुद्दा कुछ नहीं है अपितु उपरोक्त सभी कारकों का संयोजन है। कुल मिलाकर यह विद्युत क्षेत्र की वृद्धि के लिए एक सुनियोजित समन्वित और त्रुटिहीन रूप से किए गए प्रयास के स्थान पर कल्पना से परे कार्य है और यह अग्निशमन

कार्यवाही अधिक है। समिति ने प्रत्येक प्रश्नगत 34 परियोजनाओं की वस्तुस्थिति और भाग्य के बारे में विचार सुनें और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सामूहिक इच्छाशक्ति, कल्पना, दृढ़ संकल्प और कार्य योजना के अभाव की ठोस अभिव्यक्ति है। यद्यपि, उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है क्योंकि अब मामले को सुलझाने के लिए और विद्युत क्षेत्र के एनपीए को उत्पादक बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। समिति इस कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं के प्रयासों की सराहना करती है और यह मानती है कि वह मुद्दे को सुलझाने के लिए साहस और उद्देश्य की भावना का प्रदर्शन करेंगे। समिति, इसलिए सिफारिश करती है कि स्ट्रैस्ड आस्तियों और एनपीए को पहचान करने के प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए और समस्या के समाधान खोजने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

1. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा अभिचिन्हित 34 संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा किया गया विश्लेषण निम्नानुसार हैः

i. कुल 16,450 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाओं का समाधान हो गया है।

ii. कुल 16,270 मेगावाट क्षमता की 13 परियोजनाएं समाधान के विभिन्नु चरणों में हैं।

iii. कुल 7,410 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाएं निर्माण के अति प्रारंभिक स्तर पर हैं और पूर्णरूप से बंद हैं। ऐसी परियोजनाओं को या तो परिसमापन का आदेश दे दिया गया है अथवा परिसमापन की दिशा में अग्रसर हैं।

1.1 उप स्ट्रैस्ड ताप विद्युत परियोजनाओं की सार स्थिति निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई (मेगावाट)	जोड़ा गया पीपीए (मेगावाट)	जोड़ा गया ईंधन (मेगावाट)
I	हल किए गए	14	16,450	15850	10746	13122
II	हल किए जाने के लिए संभावित	13	16,270	10269	6817	10654
III	परिसमापन के लिए शीर्षक	7	7,410	135	1484.5	971
	कुल	34	40,130	26,254	19,047.5	24,747

1.2 विस्तृत स्थिति **परिशिष्ट - दो** पर संलग्न है।

2. ताप विद्युत क्षेत्र में संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. 204 कोयला ब्लॉकों के निरस्तीकरण के बाद, भारत सरकार ने उचित एवं पारदर्शी विधि से निरस्त कोयला खदानों के पुन: आबंटन के लिए एक पारदर्शी नीति निरूपित की है। सरकार ने आज तक नीलामी/आबंटन के माध्यंम से 62 ब्लॉकों का पुन: आबंटन किया है।

ii. विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर, कोयला मंत्रालय ने 13.04.2016 के पत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए एक अलग ई-नीलामी विंडो शुरू की है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) नियमित अंतराल पर पर्याप्तल मात्रा पेश करते हुए दीर्घकालीन आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्यट रूप से

कोयले की विशिष्टी अग्रवर्ती ई-नीलामी (एसएफईए) के आयोजन की व्यवस्था कर रही है ताकि ऐसे विद्युत संयत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्धा कराया जाए। सीआईएल ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को विशिष्ट अग्रवर्ती ई-नीलामी (एसएफईए) के माध्यम से 27.12 मिलियन टन कोयला आबंटित किया है।

iii. विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.02.2016 के पत्र द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत के साथ-साथ गैर-विद्युत क्षेत्र दोनों) के विशिष्ट अंतिम उपयोग संयत्रों को जिन्हें कोयला खदानें अथवा ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रिज लिंकेज अनुप्रयोग अनुमोदित कर दिए गए हैं।

iv. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेजः 17 मई, 2017 को, सरकार ने विद्युत क्षेत्र को लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपरेंटली इन इंडिया) नीति की स्कीम शुरू की। शक्ति नीति के अंतर्गत निम्नानुसार लिंकेज प्रदान किए गए:

i. शक्ति नीति पैरा ख(i) : केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया।

ii. शक्ति नीति पैरा ख(ii) : 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्ति के ख (ii) (आईपीपी परियोजनाएं जिनके पास पीपीए है लेकिन कोई लिंकेज नहीं है) के पहले चक्र के अंतर्गत और 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख (ii) के दूसरे चक्र के अंतर्गत कोयला लिंकेज आबंटित किए गए। शक्ति के ख (ii) के तीसरे चक्र में, 11.05.2020 को नीलामी आयोजित की गई, 5.66 एमटी में से कुल 3.48 मीट्रिक टन मात्रा बुक की है।

iii. शक्ति नीति पैरा ख(iii) : बोली 05 से 07 फरवरी, 2020 तक आयोजित की गई। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट में से) की क्षमता के गैर-पीपीए ने 6.49 मीट्रिक टन का लिंकेज हासिल किया।

iv. शक्ति नीति पैरा ख(iv) : गुजरात राज्य को 4,000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश राज्य को 1,600 मेगावाट और मध्य प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट के लिए प्रदत्त कोयला लिंकेजों का टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जाएगा।

v. ख(v) के अंतर्गत,समूहक (पीएफसी) ने टैरिफ आधारित बोली के लिए समूहक मांग हेतु कोयला लिंकेज (10 मी.टन) आबंटित किया है।

vi. शक्ति नीति पैरा ख(viii)(क): विद्युत मंत्रालय द्वारा 02.12.2019 को कार्यपद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता और 8145 मेगावाट की गैर-पीपीए क्षमता के लिए 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए।

vii. सीआईएल ने 19.03.2020 को ट्रांचे-I नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5.77 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 1.34 मीट्रिक टन को एक शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए शक्ति ख(viii) (क) के तहत दूसरे दौर की नीलामी के लिए, 4.51 मीट्रिक टन की कुल पेशकश

की गई मात्रा में से, 0.74 मी. टनको 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है।

2.1 2500 मेगावाट विद्युत की खरीद हेतु प्रायोगिक परियोजना: देश में विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने संयुक्त क्षमता वाली चालू की गई परियोजनाओं वाले विद्युत उत्पादकों से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर 2500 मेगावाट की खरीद की स्कीम अधिसूचित की है।

क. पहला चक्र (2500 मेगावाट): सभी सफल बोलीकर्ताओं को लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए (1900 मेगावाट) – 1900 मेगावाट के लिए पीपीए हस्ताक्षर किए गए।

ख. दूसरा चक्र (2500 मेगावाट):कुल 6000 मेगावाट क्षमता के लिए 21 बोली लगाने वालों से बोली प्रतिभूति प्राप्त0 हुई। बोली 07.02.2020 को खोली गई। 2500 मेगावाट क्षमता के 12 बोलीकर्ता सफल हुए। तमिलनाडु राज्य ने 500 मेगावाट की खरीद के लिए इच्छा व्यक्त की।

2.2 भुगतान सुरक्षा तंत्र: मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2019 को आदेश जारी किया और दिनांक 17.07.2019 को शुद्धिपत्र जारी किया। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (एनएलडीसी एवं आरएलडीसी) को विद्युत उत्पादन कंपनियों और वितरण कंपनियों को, यह सूचित किए जाने के बाद ही कि वांछित विद्युत की मात्रा के लिए साख पत्र (एलसी) खोल दिया गया है, विद्युत प्रेषण करने के लिए निदेशित किया गया है। इससे डिस्कॉमों द्वारा विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

2.3 उपरोक्त के मद्देनजर, यह नोट किया जाए कि विद्युत मंत्रालय विद्युत क्षेत्र में संकट कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।यह देखा जा सकता है कि सरकार ने पायलट योजनाओं के माध्यम से कोयला लिंकेज या पीपीए की पेशकश के लिए उन्हें विकल्प साबित करने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करके इन परिसंपत्तियों को मानक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं।

[*विद्युत मंत्रालय का. ज्ञा. सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

सिफारिश सं. 3

समिति ने यह नोट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार आस्ति को एनपीए में वर्गीकृत तब किया जाता है ऋण पद के संदर्भ में यदि किसी ऋण या अग्रिम राशि का मूलधन पर ब्याज या उसकी किस्त 90 दिन तक अदा नहीं की जाती है। इसी प्रकार से, स्ट्रैस्ड आस्तियां वह खाते हैं जहां उधारकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर ऋण अदायगी में वित्तीय संकट के कारण ब्याज के भुगतान या अन्य भुगतान में विलंब होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आय निर्धारण/आस्तियां वर्गीकरण मानकों के अनुसार, जब कोई आस्ति नियत समय सीमा में ऋण दायित्व का निर्वाह करने में विफल रहता है, तो यह प्रारंभिक स्ट्रैस और संभावित एनपीए का सूचक है। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है और समय पर परियोजना के लागू होने तक सीमित नहीं होगा। इस परिस्थिति में विभिन्न वर्गों के सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए जैसे कि परिशोधन, पुनर्गठन और वसूली पर विचार स्थिति की समग्रता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। समिति को बताया गया कि आजकल विद्युत क्षेत्र की रेटिंग करने के लिए अनुमानित हानि का आकलन करने के लिए प्रचलित प्रथा और एक दिन के लिए भी कर्तव्य का निर्वाह करने में विलंब आस्तियों की रेटिंग कम कर देगा। जैसे रेटिंग नीचे जाती है, बैंक उस आस्ति/परियोजना का समर्थन करने के स्थान पर दंडस्वरूप ब्याज लगाना शुरू कर देता है। इस प्रकार का प्रचलन स्थिति को सरल बनाने के स्थान पर अधिक विकट बना देता है। यदि आस्तियों को एनपीए में वर्गीकरण से पहले ऋणदाता 90 दिन की अवधि की अनुमति देता

है तो उन्हें उनके मानकों के अनुसार ब्याज लगाना चाहिए न कि रेटिंग एजेंसियों द्वारा आस्तियों की ग्रेडिंग से। समिति इसलिए सिफारिश करती है कि आस्तियों का एनपीए में वर्गीकरण और उसके परिणामस्वरूप कार्यवाही के लिए ऋणदाता ब्याज आरोपित करने के लिए अपने मानकों का पालन करना चाहिए। उन्हें उन कारकों का भी ध्यान रखना चाहिए जो आस्ति को एनपीए बनाने के लिए उत्तदायी हैं और आस्ति को जहां तक संभव हो, एनपीए न बनने में सहायता करने का प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21. 04.048/2017-18 के द्वारा 5/25 - लचीली पुनर्संरचना स्कीम, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), बाह्य एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्तिकयों की संधारणीय पुनर्संरचना स्कीम (एस4ए) आदि के साथ-साथ संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तंत्र जैसी सभी ऋण पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया है। परिपत्र के अनुसार, ऐसे ऋण खातों में, जहां ऋणदाताओं को कुल जोखिम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जहां खातों को पुनर्संरचित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत पुनर्संरचना चल रही है, समाधान प्रक्रिया को 01 मार्च, 2018 से 180 दिनों के भीतर अथवा 01 मार्च, 2018 के बाद पहले व्युतिक्रम पत्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। यदि समाधान प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं किया गया तो ऋणदाताओं को उक्ता समय-सीमा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईबीसी (शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता) के अंतर्गत शोधन अक्षमता आवेदन दायर करना होगा।

2. इस परिपत्र को देश भर के उच्च न्याकयालयों में विभिन्नश याचिकाओं के माध्यतम से एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स (एपीपी), इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईपीपीएआई) और अनेक वियुत विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई, जिन्हें बाद में एक साथ मिला दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने निर्णय में यह घोषणा की कि दिनांक 12.02.2018 का रद्द आरबीआई परिपत्र बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35कक के लिए अधिकारातीत है तथा इसलिए, स्थानांतरित मामलों और याचिकाओं में उठाए गए किसी भी अन्य विवाद में पड़ना अनावश्यक है।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.06.2019 के अपने संकटग्रस्तो परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में निम्नलिखित की अनुमति दी:

क. समीक्षा अवधि – जब कभी किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी के व्यतिक्रम में होने की रिपोर्ट दी जाती है, ऋणदाता ऐसे व्यतिक्रम से तीस दिनों के भीतर ऋणी के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा शुरू करेगा।

ख. अंतःलेनदार करार (आईसीए): ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना (आरपी) क्रियान्विंत की जानी है, समाधान प्रक्रिया (आरपी) को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वायन के लिए आधार नियम उपलब्ध कराने के लिए उक्त समीक्षा अवधि के दौरान सभी लेनदार एक आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे।

ग. आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य का 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लेनदारों के 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा कोई भी सहमत निर्णय सभी लेनदारों पर लागू होगा।

घ. कोई समाधान प्रक्रिया केवल तभी ''क्रियान्वित'' मानी जाएगी, यदि ऋणी (स्वामित्व के मामले में कोई पुनर्संरचना/कोई बदलाव के लिए नहीं) समीक्षा अवधि के अंत से 180वें दिन तक किसी भी

ऋणदाता के साथ व्यतिक्रम में नहीं होगा। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी तदनंतर व्यतिक्रम को नई समीक्षा प्रवर्तित करने वाला एक नया व्यतिक्रम माना जाएगा।

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा	अतिरिक्त प्रावधान
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि शुरु होने से 365 दिन	35%

ड. समाधान प्रक्रिया के विलंबित क्रियान्व यन के कारण अतिरिक्ति प्रावधान:- सभी खातों के लिए-जहां कहीं किसी ऋणी के मामले में एक व्यववहार्य समाधान प्रक्रिया का नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर क्रियान्वकयन नहीं किया जाता है, सभी ऋणदाता निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

च. ऋणदाता किसी मामले को आईबीसी के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। वे आईबीसी के बाहर अथवा उसके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया निरूपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को आईबीसी के पास ले जाया जाता है, यह अतिरिक्त प्रावधानों के निवर्तन के रूप में कतिपय प्रोत्साहन देती है।

छ. आईबीसी के बाहर समाधान के लिए ऋणदाताओं की 100% सहमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

सिफारिश सं. 4

समिति ने यह नोट किया कि ऋण संबंधित मुद्दों को अविनियमित किया जाता है और बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय अपनी अनुमोदित नीतियों और प्रासंगिक नियामक दिशा-निर्देश के दायरे में ऋण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर लेने होते हैं। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग विभिन्न स्तरों पर दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन और संपादन की जांच करता है। आरबीआई संबंधित बैंकों को दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन के बारे में सूचित करता है ताकि अपेक्षित निगरानी और नियंत्रण तंत्र को आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। निगरानी कार्यवाही योजना/जोखिम कम करने की योजना के द्वारा इन टिप्पणियों पर बैंकों द्वारा अनुपालन की ट्रैकिंग की जाती है। बैंकों का आंतरिक लेखा-परीक्षण समवर्ती लेखा-परीक्षा और संवैधानिक लेखा-परीक्षा आय निर्धारण पर जानकारी, वर्गीकरण और प्रावधान मानकों का सत्यापन करता है। समिति ने नोट किया कि बैंकों द्वारा ऋण के संबंध में पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन उपाए किए गए हैं। इस प्रावधान के बावजूद, यह महसूस किया गया कि बैंकों द्वारा ऋण पर विचार करते समय सावधानी का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए, ऋण देने की प्रक्रिया और स्तरों के साथ ऋण प्रदान करने के मानदंडों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण कारकों के आलोक में एक यथार्थवादी समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि इसे और अधिक यथार्थवादी उत्पादक बनाए जाने हेतु ऋण दिए जाने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षी तंत्र और इसकी अनुवर्ती निगरानी पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21.04. 048/2017-18 के द्वारा 5/25 - लचीली पुनर्संरचना स्कीम, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), बाह्य एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय पुनर्संरचना स्कीम (एस4ए) आदि के साथ-साथ संयुक्त

ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तंत्र जैसी सभी ऋण पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया है। परिपत्र के अनुसार, ऐसे ऋण खातों में, जहां ऋणदाताओं का कुल जोखिम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जहां खातों को पुनर्संरचित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत पुनर्संरचना चल रही है, समाधान प्रक्रिया को 01 मार्च, 2018 से 180 दिनों के भीतर अथवा 01 मार्च, 2018 के बाद पहले व्युतिक्रम पत्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। यदि समाधान प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं किया गया तो ऋणदाताओं को उक्त समय-सीमा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईबीसी (शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता) के अंतर्गत शोधन अक्षमता आवेदन दायर करना होगा।

2. इस परिपत्र को देश भर के उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से एपीपी, आईपीपीएआई और अनेक विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई, जिन्हें बाद में एक साथ मिला दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने निर्णय में यह घोषणा की कि दिनांक 12.02.2018 का रद्द आरबीआई परिपत्र बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35कक के लिए अधिकारातीत है तथा इसलिए, स्थानांतरित मामलों और याचिकाओं में उठाए गए किसी भी अन्य विवाद में पड़ना अनावश्यक है।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.06.2019 के अपने संकटग्रस्तद परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में निम्नएलिखित की अनुमति दी:

क. समीक्षा अवधि – जब कभी किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी के व्यतिक्रम में होने की रिपोर्ट दी जाती है, ऋणदाता ऐसे व्यतिक्रम से तीस दिनों के भीतर ऋणी के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा शुरू करेगा।

ख. अंतःलेनदार करार (आईसीए): ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना (आरपी) क्रियान्वित की जानी है, समाधान प्रक्रिया (आरपी) को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन के लिए आधार नियम उपलब्ध कराने के लिए उक्त समीक्षा अवधि के दौरान सभी लेनदार एक आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे।

ग. आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य का 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लेनदारों के 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा कोई भी सहमत निर्णय सभी लेनदारों पर लागू होगा।

घ. कोई समाधान प्रक्रिया केवल तभी ''क्रियान्वित'' मानी जाएगी, यदि ऋणी (स्वामित्व के मामले में कोई पुनर्संरचना/कोई बदलाव के लिए नहीं) समीक्षा अवधि के अंत से 180वें दिन तक किसी भी ऋणदाता के साथ व्यतिक्रम में नहीं होगा। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी तदनंतर व्यतिक्रम को नई समीक्षा प्रवर्तित करने वाला एक नया व्यतिक्रम माना जाएगा।

ङ. समाधान प्रक्रिया के विलंबित क्रियान्वायन के कारण अतिरिक्त प्रावधान:- सभी खातों के लिए-जहां कहीं किसी ऋणी के मामले में एक व्यवहार्य समाधान प्रक्रिया का नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, सभी ऋणदाता निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा	अतिरिक्त् प्रावधान
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि शुरु होने से 365 दिन	35%

च. ऋणदाता किसी मामले को आईबीसी के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। वे आईबीसी के बाहर अथवा उसके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया निरूपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि संकटग्रस्त परिसंपत्ति को आईबीसी के पास ले जाया जाता है, यह अतिरिक्त प्रावधानों के निवर्तन के रूप में कतिपय प्रोत्साहन देती है।

छ. आईबीसी के बाहर समाधान के लिए ऋणदाताओं की 100% सहमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

सिफारिश सं. 5

समिति नोट करती है कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार देती है कि वह बैंकिंग कंपनियों को उनके कार्यकरण के बारे में दिशा-निर्देश दे। समय-समय पर आरबीआई द्वारा वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थिति, पद्धतिबद्ध जोखिम और बैंकिंग प्रणाली की दशा में आकलन को ध्यान में रखते हुए अपने दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाता है। 'स्पेशल मेंशन अकाउंट(एसएमए)' के अंतर्गत इस प्रकार की तीन श्रेणियां हैः-

(क) एएमए – 0: मूलधन अथवा ब्याज अदायगी जिसका अतिदेय 30 दिनों से अधिक का नहीं है किंतु जिन्हें लेखा में प्रारंभिक दबाव के लक्षणों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(ख) एसएमए – 1: 31-60 दिनों के मध्य अतिदेय मूलधन अथवा ब्याज भुगतान।

(ग) एसएमए – 2: 61-90 दिनों के मध्य अतिदेय मूलधन अथवा ब्याज भुगतान।

ये श्रेणियां लेखा में पनपते दबाव को चिन्हित किए जाने हेतु चरणों का वर्णन करती हैं। जब कतिपय लेखा एसएमए-2 की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है तो बैंकों को आवश्यक रूप से 'ज्वाइंट लैंडर्ज फॉरम' नामक समिति का गठन करना पड़ता है जिससे दबाव को समय रहते पहचाना जाए व इसका निदान किया जा सके। तथापि, समिति नोट करती है कि ये सभी कार्य तभी अपेक्षित होते हैं जब ऋण अदायगी उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है। कार्य का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि परियोजना हेतु दिए गए ऋणों की सुरक्षित वसूली की जा सके न कि दबाव में मुद्दे का समाधान किया जाए व परिसंपत्तियों को और अधिक उत्पादक बनाया जा सके। समिति का यह सुविचारित मत है कि वित्तपोषण किया जाना, यद्यपि महत्वपूर्ण कारक है, किन्तु परियोजना के कमीशनिंग की दिशा में नाना प्रकार के महत्वपूर्ण कारकों में से यह एक कारक है। अब तक, हजारों मेगावाट के कमीशन्ड संयंत्र कड़े वित्तीय दबाव के अंतर्गत हैं और वर्तमान में या तो एसएमए-1/2 श्रेणी में हैं अथवा एनपीए बनने के कगार पर हैं। यह ईंधन की कमी, इष्टतम लदाई, अनियंत्रित क्षमता, एफएसए व पीपीए का अभाव के कारण है। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय आवश्यकता/विद्युत की मांग, इस संबंध में अन्य आवश्यक कारकों की उपलब्धता के आधार पर कमीशन किया गया था। तथापि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते, ये संयंत्र धनापूर्ति, ऋण रेटिंग, ब्याज शोधन इत्यादि से पीड़ित हैं। अतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों, संयुक्त ऋणदाता फॉरम द्वारा आरबीआई दिशा-निर्देशों को अविवेकपूर्ण रूप से लागू किए जाने से इन संयंत्रों को और अधिक हानि होगी और बहाली की कोई संभावना नहीं बचेगी। भारत सरकार ने उन परियोजनाओं के लिए, जो आधारभूत रूप से प्रबल हैं और धनापूर्ति की अल्पकालिक समस्या से ग्रस्त हैं, के लिए नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली प्रस्तावित की है। इसमें विभिन्न अंतर्निहित ऋण वृद्धि ढांचों पर बल दिया गया है। समिति समझती है कि अवसंरचनात्मक कंपनियों के क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु बनाए गए इन दिशा-निर्देशों को बैंकों द्वारा नहीं अपनाया गया है। नए मानकों में प्रत्येक रेटिंग स्तरों के अनुरूप जोखिम

रोधक प्रस्तावित हैं जिनका बैंकों की अपनी पूंजीगत पर्याप्तता हेतु प्रयोग करना है। समिति का यह मत है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इन दिशा-निर्देशों का विश्लेषण करना चाहिए और इनका सही अर्थों में पालन किया जाना चाहिए जिससे स्ट्रैंस्ड आस्तियों को कतिपय सहायता प्रदान की जा सके। अतः समिति सिफारिश करती है कि आरबीआई को सभी वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श देना चाहिए कि वे अवसंरचना कंपनियों के ऋण जोखिम के आकलन हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित क्रेडिट रेटिंग प्रणाली का पालन करे और जोखिम दबाव को तदनुसार निर्धारित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

1. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) (आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)) ने यह सूचित किया कि ऋण रेटिंग एजेंसियों ने डीईए, विनियामकों और हितधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात् एक नई ऋण रेटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य अवसंरचना में निवेश करते वक्त निवेशकों को एक दीर्घावधिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए समर्थ बनाना है। नई रेटिंग प्रणाली प्रत्याशित हानि (ईएल) मॉडल पर आधारित है, जो मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों की वसूली की संभावनाओं का निर्धारण करती है।

2. आरबीआई के अनुसार, प्रत्याशित हानि (ईएल) कार्यप्रणाली प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है जबकि चूक की संभावना (पीडी) दृष्टिकोण (मौजूदा कार्यप्रणाली) पूंजीगत आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए उचित है।

3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बीएएसईएल मानदंडों के अनुसार, बैंकों के पास मूल्यन और अन्य क्रेडिट निर्णयों के लिए प्रत्याशित हानि (ईएल) आधारित रेटिंग पर विचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन पूंजीगत आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए नहीं है, जो कि चूक की संभावना आधारित रेटिंग पर जारी रहेगी।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

विद्युत क्रय समझौता

सिफारिश सं. 6

समिति नोट करती है कि बैंकों द्वारा ऋण का निर्धारण ऋण की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन और विद्यमान नियामक मानकों तथा दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करते समय सीईआरसी (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग) द्वारा पूंजीगत लागत, उत्पादन लागत और विद्युत शुल्क विनियामक संबंधी जारी मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। विद्युत परियोजनाओं में मध्यम से दीर्घ अवधि की परिपक्वता अवधि होती है और परियोजना की प्रवृत्ति के अनुसार वित्त, एफएसए और पीपीए बहुत महत्व रखते हैं। तथापि, समिति नोट करती है कि एफएसए/कोल लिंकेज हेतु पीपीए का होना कोयला उत्पादकों द्वारा एक प्रमुख शर्त होती है और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक को राज्य वितरण कंपनी के साथ पीपीए करना होगा। वितरण कंपनियां तब तक पीपीए में शामिल नहीं होंगी जब तक परियोजना पूरे होने के कगार पर न हो अपितु वितरण कंपनियां विद्युत उत्पादन कंपनियों को आशय पत्र जारी करती हैं (विद्युत क्रय करार को परियोजना के कम से कम 80 प्रतिशत पूरा होने पर ही किया जाता है।) पीपीए को सामान्यतः वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने की तिथि से 6 माह पूर्व किया जाता है। वितरण कंपनियों द्वारा जारी आशय पत्र के आधार पर कोयला उत्पादक कंपनियां यथा कोल इंडिया लिमिटेड भी वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से 6 से 9 महीने पूर्व ईंधन आपूर्ति करार किए जाने हेतु आश्वासन पत्र जारी करती हैं। समिति नोट करती है कि विद्युत संयंत्र को संपूर्ण प्रक्रिया में उत्तम मंशा, एक दूसरे के प्रति विश्वास और आश्वासन के आधार पर आवर्ती ढंग से कार्य वास्तविक रूप ले रहा है। इस आवर्ति के आधार पर ही भारी निवेश किया जा रहा है और सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा संयंत्र स्थापित किए जाने

का भारी-भरकम कार्य भी किया जा रहा है। यह कुल मिलाकर सार्वजनिक महत्व के सामूहिक प्रयासों का एक प्रतिरूप बन गया है। आशय पत्र और आश्वासन पत्र का इस हद तक महत्व है कि इनके आधार पर ऋण दिए/वितरित किए जाते हैं और इसके पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई होती है। इसमें किसी भी प्रकार के पुनर्विचार से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समिति का यह मत है कि इन दस्तावेजों को इच्छापत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए और इन्हें तर्कसंगत बनाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का पालन किया जाए और इसमें कोई कोताही न हो। किसी भी प्रकार के अनुवर्ती नीति संशोधन में आशय पत्र अथवा आश्वासन पत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें समेकित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विद्युत संयंत्रों जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में प्रयासों की विशालता और उनके परिणामों के मद्देनजर प्रयास निष्कपट, ईमानदार और पारदर्शी होने चाहिएं जिससे वापिस पलटने की कोई संभावना न हो और राष्ट्र निर्माण में समेकित प्रयासों को एक तार्किक रूप दिया जा सके।

सरकार का उत्तर

1. कोयला मंत्रालय ने यह सूचित किया कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार, कोयला उत्पादन कंपनियों (कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों) द्वारा उपभोक्ताओं को स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) की सिफारिशों के आधार पर आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किए जाने थे।

2. दिनांक 17.02.2012 के राष्ट्रपति के निर्देश (पीडी) और बाद में दिनांक 17.07.2013 के संशोधन के अनुसार, दिनांक 17.07.2013 के राष्ट्रपति निर्देश में सूचीबद्ध 78,000 मेगावाट क्षमता वाले विनिर्दिष्ट विद्युत संयंत्रों द्वारा जिनके मार्च, 2015 तक शुरू होने की संभावना थी, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर ईंधन आपूर्ति समझौते(एफएसए) के लिए पात्र थे।तथापि, कोयले की नियमित आपूर्ति, दीर्घावधिक विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) और सीओडी (वाणिज्यिक संचालन की तारीख) की उपलब्धि होने पर शुरू होगी।तत्पश्चात, राष्ट्रपति के निर्देश दिनांक 17.07.2013 में सूचीबद्ध विद्युत संयंत्रों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए गए थे जो मार्च,2016 के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले/शुरू हो चुके थे और अंत में, शक्ति नीति दिनांक 22.05.2017 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह नियत किया गया था कि संयंत्रों की शुरूआत होने, संबंधित पड़ावों को प्राप्त करने, निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत आश्वासन पत्र की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने और वर्ष 2022 तक शुरू हो चुके/शुरू किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात सभी लंबित आश्वासन पत्र धारकों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया हो।

3. इसलिए, कोयला कंपनियों द्वारा जारी किए गए आश्वासन पत्रों का भुगतान किया गया है और शक्ति नीति यह भी निर्देश देती है कि आश्वासन पत्र धारकों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किया जाएगा, बशर्ते कि उपरोक्त नियत की गई कुछ शर्तों की पूर्ति हो।

4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि खरीदकर्ता (वितरण लाइसेंसधारी) और आपूर्तिकर्ता (विकासकर्ता)पीपीए के समापन की शर्तों सहित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के निबंधन एवं शर्तों के अधीन है।प्रत्येक मामले में जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा एकपक्षीय आधार पर पीपीए के समापन का प्रयास करने पर विद्युत क्षेत्र के जलवायु निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।तथापि, यह भी जोड़ा गया है कि किसी भी पक्ष द्वारा की गई ऐसी एकपक्षीय कार्रवाई पर किसी भी अन्य पक्ष द्वारा उचित कानूनी मंच में चुनौती दी जा सकती है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

सिफारिश सं. 7

समिति नोट करती है कि 34 विद्युत संयंत्रों को स्ट्रेस्ड की श्रेणी में रखा गया है। विद्युत संयंत्रों की विभिन्न श्रेणियों (एक) पीपीए वाले संयंत्र जिन्हें कोयले की आवश्यकता है (दो) संयंत्र जिनके पास न तो कोयला लिंकेज है और न ही पीपीए है (तीन) संयंत्र जिनके पास कोल ब्लॉक हैं किन्तु कोल ब्लॉकों का मुद्दा न्याय निर्णयाधीन है; और (चार) संयंत्र जिन्होंने कोल लिंकेज/ब्लॉक संबंधी मुद्दों के अलावा अन्य कारणों पर बल दिया है। समिति को सूचित किया गया है कि सितम्बर, 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 कोल ब्लॉकों को निरस्त किए जाने पर 30 मार्च, 2015 को कोयला खदान (विशेष प्रावधान अधिनियम, 2015) अधिसूचित किया गया था। उक अधिनियम के उपबंधों के तहत, अब तक 84 कोयला खानों का आबंटन किया जा चुका है। इन कोयला खानों में से 58 कोयला खानें विद्युत क्षेत्र को आबंटित की गई हैं, जबकि शेष अन्य क्षेत्रों को दी गई हैं। समिति को यह भी बताया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉक आबंटियों के लिए विद्युत उत्पादन व्यवस्था में कोई व्यवधान न हो, यह निर्णय किया गया कि ऐसे संयंत्रों को 31.03.2016 तक एक अलग एमओयू के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की जाए क्योंकि कई संयंत्र पहले ही आरंभ हो चुके थे या 2015-16 में आरंभ किए जाने थे और उनके दीर्घकालीन पीपीए थे। अवधि की समाप्ति अर्थात् 31.3.2016 को स्थिति की समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि इन संयंत्र विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-ऑक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया गया कोयला ले सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता में रुकावट न हो, इन संयंत्रों के साथ हुए 31.3.2016 को समाप्त होने वाले एमओयू की अवधि को 30.06.2016 तक बढ़ाया जाए ताकि सीआईएल की विशेष फॉरवर्ड ई-ऑक्शन प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। समिति यह नोट करती है कि विद्युत क्षेत्र को कोयला उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और यह क्षेत्र कोयले की कमी से जूझ रहा है। अलग एमओयू, विशेष फॉरवर्ड ई-ऑक्शन, एमओयू की अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद जमीनी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे इस क्षेत्र का न केवल विकास गंभीर रूप से बाधित हुआ है, बल्कि परिसंपत्तियों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बदलने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी बन गया है। यह बहुत गंभीर स्थिति है और इसके लिए तत्काल उपचारात्मक उपाए किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभिन्न प्रकार की परिणामहीन गतिविधियों के प्रदर्शन के व्यर्थ प्रयासों की बजाय, यह दिखाने का प्रयास होना चाहिए कि शब्दों, कार्य और परिणाम में कोई अंतर नहीं है।

सरकार का उत्तर

i. 204 कोयला ब्लॉकों के निरस्तीकरण के बाद, भारत सरकार ने उचित एवं पारदर्शी विधि से निरस्त कोयला खदानों के पुनः आबंटन के लिए एक पारदर्शी नीति निरूपित की है। सरकार ने आज तक नीलामी/आबंटन के माध्यम से 62 ब्लॉकों का पुनः आबंटन किया है।

ii. विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर, कोयला मंत्रालय ने 13.04.2016 के पत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए एक अलग ई-नीलामी विंडो शुरू की है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) नियमित अंतराल पर पर्याप्त मात्रा पेश करते हुए दीर्घकालीन आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्यी रूप से कोयले की विशिष्ट अग्रवर्ती ई-नीलामी (एसएफईए) के आयोजन की व्यवस्था कर रही है ताकि ऐसे विद्युत संयत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्ध कराया जाए। सीआईएल ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को एसएफईए के माध्यम से 27.12 मिलियन टन कोयला आबंटित किया है।

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन का वर्ष-वार कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तुत की गई मात्रा (मिलियन टन में)	बुक की गई मात्रा (मिलियन टन में)
2017-18	61.95	28.93
2018-19	39.688	27.14
2019-20	44.045	27.12

iii. विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.02.2016 के पत्र द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत के साथ-साथ गैर-विद्युत क्षेत्र दोनों) के विशिष्ट अंतिम उपयोग संयत्रों को जिन्हें कोयला खदानें अथवा ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रिज लिंकेज अनुप्रयोग अनुमोदित कर दिए गए हैं।

iv. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेजः 17 मई, 2017 को, सरकार ने विद्युत क्षेत्र को लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपरेंटली इन इंडिया) नीति की स्कीम शुरू की। शक्ति नीति के अंतर्गत निम्नानुसार लिंकेज प्रदान किए गए:

(क) शक्ति नीति पैरा ख(i) : केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया।

(ख) शक्ति नीति पैरा ख(ii) : 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्ति के ख (ii) (आईपीपी परियोजनाएं जिनके पास पीपीए है लेकिन कोई लिंकेज नहीं है) के पहले चक्र के अंतर्गत और 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख (ii) के दूसरे चक्र के अंतर्गत कोयला लिंकेज आबंटित किए गए। शक्ति के ख (ii) के तीसरे चक्र में, 11.05.2020 को नीलामी आयोजित की गई, प्रस्तावित 5.66 मीट्रिक टन में से आईपीपी ने कुल 3.48 मीट्रिक टन मात्रा बुक की है।

(ग) शक्ति नीति पैरा ख(iii) : बोली 05 से 07 फरवरी, 2020 तक आयोजित की गई। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट में से) की क्षमता के गैर-पीपीए ने 6.49 मीट्रिक टन का लिंकेज हासिल किया।

(घ) शक्ति नीति पैरा ख(iV) : गुजरात राज्य को 4,000 मेगावाट, उत्तिर प्रदेश राज्य को 1,600 मेगावाट और मध्य प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट के लिए प्रदत्त कोयला लिंकेजों का टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जाएगा।

(ङ) ख(V) के अंतर्गत,समूहक (पीएफसी) ने टैरिफ आधारित बोली के लिए समूहक मांग हेतु कोयला लिंकेज (10 मी.टन) आबंटित किया है।

(च) शक्तिV नीति पैरा ख(Viii)(क): विद्युत मंत्रालय द्वारा 02.12.2019 को कार्यपद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता और 8145 मेगावाट की गैर-पीपीए क्षमता के लिए 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए। सीआईएल ने 19.03.2020 को ट्रांचे-I नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5.77 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 1.34 मीट्रिक टन को एक शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए शक्ति ख(Viii) (क) के तहत दूसरे दौर की नीलामी के लिए, 4.51 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 0.74 मी. टन को 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

सिफारिश सं. 8

समिति यह नोट करती है कि बातचीत के दौरान एक जानकारी यह दी गई है कि कोयले की कोई कमी नहीं है और सरकार द्वारा प्रतिपादित शक्ति योजना सभी मौजूदा और भावी संयंत्रों के लिए कोयले की आबंटन की व्यवस्था करेगी। समिति को यह भी बताया गया कि ऐसे कोई विद्युत संयंत्र नहीं हैं, जिनमें पीपीए हो, लेकिन कोयला लिंकेज न हो। चौंतीस स्ट्रैस्ड विद्युत परियोजनाओं के स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ बातचीत के दौरान, समिति को बताया गया कि तीन महीने बाद भी लैटर एश्योरेंस जारी नहीं किया गया है। समिति ने उस ढंग पर अपनी पीड़ा जाहिर की है, जिस ढंग से शक्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है और पात्र प्रमोटरों को कोयला मुहैया कराने के लिए समय लिया जा रहा है। समिति को यह जानकारी भी दी गई है कि कोयला आबंटन नीति और कोयले के ई-ऑक्शन के संबंध में कोई सामंजस्य नहीं है। इसने इन पर विपरीत प्रभाव डाला है। यद्यपि, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) में कुछ स्थितियों को पूरा करने पर एलओए को एफएसए में स्वतः परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है, लेकिन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड ने एफएसए पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। यह वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और सभी संबंधितों को इस पर तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें विशाल स्टॉक जुड़ा है। विद्युत उत्पादकों के बीच कोयले की उपलब्धता और आबंटन को लेकर वाजिब आशंकाएं हैं। हाल के अध्ययन दौरे के दौरान स्वयं समिति ने यह पाया कि एनटीपीसी संयंत्र में कोयले की उपलब्धता की स्थिति गंभीर है और एनटीपीसी के कुछ अन्य संयंत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। यह कोल इंडिया के दावे को पूरी तरह नकारती है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। समिति यह आशा करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड बड़े-बड़े आधारहीन दावे करने की बजाय इन मुद्दों को गंभीरता से लेगा। शक्ति योजना के कार्यान्वयन में विलंब नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसके उत्तरप्रभाव विनाशकारी होंगे। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रत्येक विकासकर्ता को समयबद्ध ढंग से कोयले की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने का हर प्रयास करे। विकासकर्ताओं को कोयला मुहैया कराने के लिए ऐसी समय सीमा को आम जानकारी के लिए भी अधिसूचित किया जाए।

सरकार का उत्तर

1. पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में कोयला आधारित ताप संयंत्र द्वारा कोयले की खपत और कुल प्राप्ति (घरेलू एवं आयातित) का विवरण निम्नानुसार हैः

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	प्राप्ति					खपत
	घरेलू	आयातित			कुल प्राप्ति	
		सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए	आयातित कोयला आधारित संयंत्र	कुल आयातित		
2016-17	494.8	19.8	46.3	66.1	560.9	574.3
2017-18	538.6	17.0	39.4	56.4	595.0	608.0
2018-19	582.1	21.4	40.3	61.7	643.7	628.9
2019-2020	569. 5	23.8	45.5	69.2	638.7	622.2

1.1 जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, वर्ष 2019-20 के दौरान, जिसमें अल्प कमी दर्शाई गई है घरेलू कोयले की प्राप्ति में वृद्धि हो रही है।वर्ष 2019-20 के दौरान, घरेलू स्रोतों से प्राप्त 569.5 मीट्रिक टन की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में घरेलू कोयले की खपत 577.3 मीट्रिक टन हुई जबकि 23.8 मीट्रिक टन कोयले केसम्मिश्रण के उद्देश्य से आयात किया गया था।जैसाकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, देश में घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार दर्ज करते हुए खदानों के पास 75 मीट्रिक टन का और संयंत्रों के पास 45 मीट्रिक टन का प्रारंभिक माल उपलब्ध है।

1.2 उत्पादन लक्ष्य के आधार पर, वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू कोयले से अभिकल्पित संयंत्रों की कोयला आवश्यकता का अनुमान लगभग 645 मीट्रिक टन है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न घरेलू स्रोतों से कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता 645 मीट्रिक टन की आवश्यकता की तुलना में लगभग 668 मीट्रिक टन है, जिसमें सीआईएल से 530 मीट्रिक टन, सिंगरेनी कोल कॉलरीज लिमिटेड (एससीसीएल) से 55 मीट्रिक टन और सीमित स्रोतों से 63 मीट्रिक टन आदि शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता आवश्यकता की तुलना में अधिक है, लागत अर्थव्यवस्थाओं और परिवहन प्रचालन तंत्र के आधार पर सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात की बहुत कम आवश्यकता हो सकती है। इसके संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने सभी उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) जो भी सम्मिश्रण उद्देश्य से कोयला का आयात करता हो, से अनुरोध किया है कि,घरेलू कोयले के साथ अपने आयात को परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे।वर्तमान में, दिनांक 18.06.2020 की स्थिति के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के पास उपलब्ध 49.31 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक लगभग 28 दिनों तक टीपीपी के जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।

1.3 घरेलू कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए, उनकी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए और घरेलू कोयले की उपलब्धता में आई कमी, यदि कोई हो तो, को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं। तथापि, घरेलू कोयले की प्राप्ति की तुलना में सम्मिश्रण के लिए आयातित कोयले की मात्रा बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र, अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं क्योंकि वह आयातित कोयले से ही संचालित होने के लिए बने हैं। इसके अतिरिक्त, कोयले का आयात निर्बाध सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत हैं, और इसलिए, विद्युत यूटिलिटियां अपनी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती हैं। सीआईएल के दिनांक 05.02.2019 के आयात प्रतिस्थापन सूचना के अनुसार, विद्युत यूटिलिटों के पास आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति करने का विकल्प दिया गया है ताकि वे वित्त वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) की तुलना में आई कमी को पूरा कर सकें। तदनुसार, सीआईएल ने दिनांक 27.05.2019 को वर्ष 2019-20 के लिए भी आयात प्रतिस्थापन से संबंधित दूसरी सूचना जारी कर दी है।

1.4 तथापि, सरकार सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात को कम करने और उसे घरेलू कोयले से परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कोयले का आयात दुर्लभ विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की जरूरत पर बल देता है।इसके लिए, विद्युत मंत्रालय ने जेनकोस को सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले का उपयोग करने के सर्वोत्तम प्रयास हेतु पत्र लिखा है।इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे ई-सुविधा केंद्र के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की स्थापना करे ताकि जेनकोस द्वारा उठाए गए मामलों के निपटान और जरूरी मंजूरियों की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ताकि वे सम्मिश्रण उद्देश्यों हेतु आयातित कोयले के बदले घरेलू कोयले का उपयोग करने में सक्षम हो जाए। इसके अतिरिक्त, अपर सचिव (कोयला मंत्रालय) की अध्यक्षता में कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है।

1.5 विद्युत क्षेत्र को आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की कुल संख्या 65 है। इन 65 कोयला ब्लॉकों में से, तीन कोयला ब्लॉकों को वापिस सौंप दिया गया है और कुल 11 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है।

1.6 मई, 2016 को सरकार ने परिवहन लागत में बचत और सबसे कुशल संयंत्र के संचालन के माध्यम से विद्युत उत्पादन लागत को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।राज्य/केंद्रीय जेनकोस के पास अपने ही विद्युत संयंत्रों में कोयले का सबसे कुशल और किफायती तरीके से उपयोग करने के साथ-साथ सस्ती विद्युत उत्पादन हेतु अन्य राज्य जेनकोस/केंद्रीय जेनकोस/आईपीपी उत्पादन स्टेशनों को कोयला अंतरित करने का लचीलापन है।

1.7 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 मई, 2017 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) नामक एक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति का अनुमोदन किया है। शक्ति नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए लिंकेज हैं:

(क) शक्ति नीति पैरा ख(i) : केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया।

(ख) शक्ति नीति पैरा ख(ii) : 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्ति के ख (ii) (आईपीपी परियोजनाएं जिनके पास पीपीए है लेकिन कोई लिंकेज नहीं है)के पहले चक्र के अंतर्गत और 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख (ii) के दूसरे चक्र के अंतर्गत कोयला लिंकेज आबंटित किए गए। शक्ति के ख (ii) के तीसरे चक्र में, 11.05.2020 को नीलामी आयोजित की गई, 5 आईपीपी ने कुल 3.48 मीट्रिक टन मात्रा बुक की है।

(ग) शक्ति नीति पैरा ख(iii) : बोली 05 से 07 फरवरी, 2020 तक आयोजित की गई। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट में से) की क्षमता के गैर-पीपीए ने 6.49 मीट्रिक टन का लिंकेज हासिल किया।

(घ) शक्ति नीति पैरा ख(iv) : गुजरात राज्य को 4,000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश राज्य को 1,600 मेगावाट और मध्य प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट के लिए प्रदत्त कोयला लिंकेजों का टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जाएगा।

(ङ) ख(v) के अंतर्गत,समूहक (पीएफसी) ने टैरिफ आधारित बोली के लिए समूहक मांग हेतु कोयला लिंकेज (10 मी.टन) आबंटित किया है।

(च) शक्ति नीति पैरा ख(viii)(क): विद्युत मंत्रालय द्वारा 02.12.2019 को कार्यपद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता और 8145 मेगावाट की गैर-पीपीए क्षमता के लिए 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए। सीआईएलने 19.03.2020 को ट्रांचे-I नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5.77 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 1.34 मीट्रिक टन को एक शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए शक्ति ख(viii) (क) के तहत दूसरे दौर की नीलामी के लिए, 4.51 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 0.74 मी. टनको 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है।

1.8 इस प्रकार, यह नोट किया जाए किए सरकार द्वारा उपलब्ध कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी-6/2018-आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

समिति की टिप्पणियाँ

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक का पैरा सं. 11 देखें]

एनपीए संबंधी अंतर-मंत्रालयी समूह

सिफारिश सं. 9

समिति यह नोट करती है कि यद्यपि उत्पादन एक लाइसेंस मुक्त गतिविधि है, फिर भी विद्युत अधिनियम, 2003 में सरकार की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। विद्युत अधिनियम में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के गठन और आंकड़ों और रिटर्न के लिए इसके कार्य, कर्तव्य और शक्ति विहित की गई है। राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर सरकार की सलाह के अतिरिक्त, यह विद्युत प्रणाली के विकास, राष्ट्रहित में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए योजना एजेंसियों के कार्यकलापों में समन्वय तथा सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और धारणीय बिजली मुहैया कराने, ग्रिड से वैद्युत संयंत्र कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए तकनीकी मानकों के निर्धारण, निर्माण हेतु सुरक्षा आवश्यकताओं, संयंत्र के प्रचालन और अनुरक्षण तथा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संदर्शी योजना भी बनाता है। इसके पास बिजली व उत्पादन, पारेषण अथवा विकास के उद्देश्य के लिए किसी प्रकार भी जांच करने की शक्ति भी है। समिति की राय में, कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिनका उपयोग इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन के लिए लाइसेंसों के अभाव ने विकासकर्ताओं को ही एक अप्रासंगिक औपचारिकता छोड़ने का एक अवसर प्रदान किया है क्योंकि अगर हम प्रतिस्पर्धा प्रभाविता, पारदर्शिता और विकास आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमें इस क्षेत्र को खोलना होगा। इससे संबद्ध शेष कार्यकलाप वैसे ही हैं और प्रोत्साहनात्मक और विनियामक ढांचे को नहीं छेड़ा गया है। यह सुनिश्चित करना विद्युत मंत्रालय का उत्तरदायित्व है कि प्रोत्साहनात्मक और विनियामक कार्यकलाप अपेक्षित ढंग से किए जाएं। वे अपनी भूमिका और दायित्व से इस आधार पर मुक्त नहीं हो सकते कि उत्पादन लाइसेंस मुक्त हो गया है। मंत्रालय और इसके संबद्ध निकाय इस क्षेत्र की परेशानियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए सक्रिय हो जाएं और मंत्रालय का अंतरमंत्रालयी समूह इस क्षेत्र की ग्रस्त करने वाली विभिन्न रुग्णताओं के लिए विशेष उपचारों का सुझाव दें। यह आशा की जाती है कि अंतरमंत्रालयी समूह के विचार/सुझाव वास्तविक, विद्युत क्षेत्र के अनुकूल और इसके विकास को बढ़ावा देने वाले हों।

सरकार का उत्तर

1. भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की है। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुरत की गई और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिचक डोमेन में डाली गई। तत्परश्चा.त्, सरकार ने एचएलईसी की विशिष्टत सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सिफारिशें दीं। 07.03.2019 को, सरकार ने मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया। तदोपरांत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सरकार का अनुमोदन अधिसूचित कर दिया। सरकार द्वारा अनुमोदित जीओएम की सिफारिशें क्रियान्वयनाधीन है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अनुबंध-दो के रूप में संलग्न है।

2. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा अभिचिन्हित 34 संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा किया गया विश्लेषण निम्नानुसार हैः

i. कुल 16,450 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाओं का समाधान हो गया है।

ii. कुल 16,270 मेगावाट क्षमता की 13 परियोजनाएं समाधान के विभिन्नि चरणों में हैं।

iii. कुल 7,410 मेगावाट क्षमता की 7 परियोजनाएं निर्माण के अति प्रारंभिक स्तरर पर हैं और पूर्णरूप से बंद हैं। ऐसी परियोजनाओं को या तो परिसमापन का आदेश दे दिया गया है अथवा परिसमापन की दिशा में अग्रसर हैं।

2.1 इसे निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

क्रम सं.	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू की गई (मेगावाट)	जोड़ा गया पीपीए (मेगावाट)	जोड़ा गया ईंधन (मेगावाट)
I	हल किए गए	14	16,450	15850	10746	13122
II	हल किए जाने के लिए संभावित	13	16,270	10269	6817	10654
III	परिसमापन के लिए शीर्षक	7	7,410	135	1484.5	971
	कुल	34	40,130	26,254	19,047.5	24,747

2.2 विस्तृत स्थिति **परिशिष्ट- एक** पर संलग्न है।

3. ताप विद्युत क्षेत्र में संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. 204 कोयला ब्लॉरकों के निरस्तीरकरण के बाद, भारत सरकार ने उचित एवं पारदर्शी विधि से निरस्ति कोयला खदानों के पुन: आबंटन के लिए एक पारदर्शी नीति निरूपित की है। सरकार ने आज तक नीलामी/आबंटन के माध्यरम से 62 ब्लॉकों का पुन: आबंटन किया है।

ii. विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर, कोयला मंत्रालय ने 13.04.2016 के पत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए एक अलग ई-नीलामी विंडो शुरू की है जिसके अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) नियमित अंतराल पर पर्याप्त- मात्रा पेश करते हुए दीर्घकालीन आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से कोयले की विशिष्ट अग्रवर्ती ई-नीलामी (एसएफईए) के आयोजन की व्यवस्था कर रही है ताकि ऐसे विद्युत संयत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्ध कराया जाए। सीआईएल ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को एसएफईए के माध्यम से 27.12 मिलियन टन कोयला आबंटित किया है।

iii. विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.02.2016 के पत्र द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत के साथ-साथ गैर-विद्युत क्षेत्र दोनों) के विशिष्ट अंतिम उपयोग संयत्रों को जिन्हें कोयला खदानें अथवा ब्लॉकों का आबंटन किया गया है। निर्धारित प्रपत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रिज लिंकेज अनुप्रयोग अनुमोदित कर दिए गए हैं।

iv. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेजः 17 मई, 2017 को, सरकार ने विद्युत क्षेत्र को लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपरेंटली इन इंडिया) नीति की स्कीम शुरू की। शक्ति नीति के अंतर्गत निम्नानुसार लिंकेज प्रदान किए गए:

(क) शक्ति नीति पैरा ख(i) : केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) को लिंकेज प्रदान किया गया।

(ख) शक्ति नीति पैरा ख(ii) : 9045 मेगावाट क्षमता (32.68 मीट्रिक टन) के लिए शक्ति के ख (ii) (आईपीपी परियोजनाएं जिनके पास पीपीए है लेकिन कोई लिंकेज नहीं है)के पहले चक्र के अंतर्गत और 877.4 मेगावाट क्षमता (3.34 मीट्रिक टन) के लिए ख (ii) के दूसरे चक्र के अंतर्गत कोयला लिंकेज आबंटित किए गए। शक्ति के ख (ii) के तीसरे चक्र में, 11.05.2020 को नीलामी आयोजित की गई, 5.66 मीट्रिक टन में से कुल 3.48 मीट्रिक टन मात्रा बुक की है।

(ग) शक्ति नीति पैरा ख(iii) : बोली 05 से 07 फरवरी, 2020 तक आयोजित की गई। 3775 मेगावाट (कुल 5995 मेगावाट में से) की क्षमता के गैर-पीपीए ने 6.49 मीट्रिक टन का लिंकेज हासिल किया।

(घ) शक्ति नीति पैरा ख(iV) : गुजरात राज्य को 4,000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश राज्य को 1,600 मेगावाट और मध्य प्रदेश राज्य को 2640 मेगावाट के लिए प्रदत्त कोयला लिंकेजों का टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जाएगा।

(ङ) ख(V) के अंतर्गत,समूहक (पीएफसी) ने टैरिफ आधारित बोली के लिए समूहक मांग हेतु कोयला लिंकेज (10 मी.टन) आबंटित किया है।

(च) शक्ति नीति पैरा ख(Viii)(क): विद्युत मंत्रालय द्वारा 02.12.2019 को कार्यपद्धति जारी की गई। सीईए द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। 9,813 मेगावाट की संयंत्र क्षमता और 8145 मेगावाट की गैर-पीपीए क्षमता के लिए 14 बोलीदाताओं से आवेदन प्राप्त हुए। सीआईएल ने 19.03.2020 को ट्रांचे-I नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5.77 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 1.34 मीट्रिक टन को एक शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए शक्ति ख(Viii) (क) के तहत दूसरे दौर की नीलामी के लिए, 4.51 मीट्रिक टन की कुल पेशकश की गई मात्रा में से, 0.74 मी. टनको 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा शून्य प्रीमियम के साथ बुक किया गया है।

3.1 2500 मेगावाट विद्युत की खरीद हेतु प्रायोगिक परियाजना : देश मे विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के उद्देश्यय से, विद्युत मंत्रालय ने संयुक्त क्षमता वाली चालू की गई परियोजनाओं वाले विद्युत उत्पादकों से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर 2500 मेगावाट की खरीद की स्कीम अधिसूचित की है।

क. पहला चक्र (2500 मेगावाट): सभी सफल बोलीकर्ताओं को लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए (1900 मेगावाट) – 1900 मेगावाट के लिए पीपीए हस्ताक्षर किए गए।

ख. दूसरा चक्र (2500 मेगावाट):कुल 6000 मेगावाट क्षमता के लिए 21 बोली लगाने वालों से बोली प्रतिभूति प्राप्त हुई। बोली 07.02.2020 को खोली गई। 2500 मेगावाट क्षमता के 12 बोलीकर्ता सफल हुए। तमिलनाडु राज्य ने 500 मेगावाट की खरीद के लिए इच्छा व्यक्त की।

3.2 भुगतान सुरक्षा तंत्र: मंत्रालय ने दिनांक 28.06.2019 को आदेश जारी किया और दिनांक 17.07.2019 को शुद्धिपत्र जारी किया। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (एनएलडीसी एवं आरएलडीसी) को विद्युत उत्पादन कंपनियों और वितरण कंपनियों को, यह सूचित किए जाने के बाद ही कि वांछित विद्युत की मात्रा के

लिए साख पत्र (एलसी) खोल दिया गया है, विद्युत प्रेषण करने के लिए निदेशित किया गया है। इससे डिस्कॉमों द्वारा विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

3.3 उपरोक्त के मद्देनजर, यह नोट किया जाए कि विद्युत मंत्रालय विद्युत क्षेत्र में संकट कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। यह देखा जा सकता है कि सरकार ने पायलट योजनाओं के माध्यम से कोयला लिंकेज या पीपीए की पेशकश के लिए उन्हें विकल्प साबित करने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करके इन परिसंपत्तियों को मानक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी यदि वह ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है।

4.1 चूंकि, विद्युत उत्पासदन एक अनुज्ञप्ति रहित गतिविधि है, विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय संबंधित विकासकर्ता द्वारा बाजार परिस्थितियों, भविष्य में विद्युत की मांग, वित्तीरय विकल्पों , परियोजना की व्यतवहार्यता आदि के उसके मूल्यांपकन पर आधारित होता है। परियोजना का वित्तकपोषण करने के उद्देश्य से, विकासकर्ता और ऋणदाता के बीच आपसी वार्ता एवं सहमति के आधार पर वित्तीषय करार पर हस्ताशक्षर किए जाते हैं और जोखिम को पूरी तरह से विकासकर्ता एवं ऋणदाता द्वारा वहन किया जाता है। ऋणदाता सामान्यत: बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि के प्रचलित ऋण मानकों के आधार पर परियोजना वित्तापोषण लागत का आंकलन एवं मूल्यांकन करने के लिए एक परियोजना अभियंता नियोजित करता है। विद्युत मंत्रालय ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के वित्तीय बंधन में कोई भूमिका नहीं निभाता है।

4.2 यह जांच करने के लिए कि क्या विकासकर्ता ओएंडएम व्ययों को छुपा रहा है, प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्यकयों के लिए प्रति मेगावाट आधार पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के प्रचलित मानक पहले से ही उपलब्धि हैं। यह भी उल्लेकखनीय है कि बैंकर परियोजना के नकदी प्रवाह की निगरानी हेतु विशिष्ट परियोजना के लिए ऋणदाता का वित्तीलय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता का अभियंता नियुक्तव किया जाता है।

4.3 एचएलईसी द्वारा संकट के कारणों के रूप में यथा अभिनिर्धारित क्षेत्रीय मुद्दों का सरकार द्वारा किए गए विभिन्नच नीतिगत हस्तेक्षेपों के माध्यम से समाधान कर लिया गया है।

4.4 शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यावयाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से संकटग्रस्त (परिसंपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया इस नोट के **परिशिष्ट-तीन** पर दी गई है। अनुबंध-तीन से यह देखा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा शोधन अक्षमता और दिवाला अधिनियम अथवा एनसीएलटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संकटग्रस्त परियोजनाओं का समाधान किया जाता है। ऋणदाता द्वारा समाधान प्रक्रिया की निगरानी वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) जो सभी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है, द्वारा की जाती है। एनसीएलटी की संरचना और भूमिका कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आती है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि परियोजना विकासकर्ता/ऋणदाता गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में उपरोक्त दो समाधान प्रक्रियाओं के तहत प्रतिकार की मांग कर सकते हैं। यह नोट करना प्रासंगिक है कि आईबीसी/एनसीएलटी के माध्यम से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की उक्त प्रक्रिया में विद्युत मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

समिति की टिप्पणियाँ

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक का पैरा सं. 14 देखें]

राष्ट्रीय विद्युत नीति

सिफारिश सं. 11

समिति यह नोट करती है कि विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सरकार के लिए विद्युत प्रणाली के विकास से संबंधित सभी से परामर्श करके राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया जो संसाधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय तत्व, जल और नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित हो। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और अन्य पणधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए 10 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय विद्युत नीति को अधिसूचित किया। इस नीति का लक्ष्य विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास करना, सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपर्ति करना और उपभोक्ताओं तथा अन्य पणधारकों के हितों की रक्षा करना है। इसमें बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने, वित्तीय स्थिति बदलने और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता बढ़ाने का भी प्रावधान है। इस नीति का लक्ष्य, क्षेत्र कार्यक्रमों में वित्त पोषण के मुद्दे को सुलझाना भी है जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी और उपभोक्ता लाभ को लक्षित प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना शामिल है। समिति यह पाती है कि देश में विद्युत क्षेत्र का विकास जिस प्रकार से हुआ है वह संतुलित नहीं है और उसमें समन्वित दृष्टिकोण का अभाव है। उत्पादन में अनुज्ञप्ति को हटाने से उत्पादन कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। तथापि, इससे संबंधित अन्य आवश्यक तथ्यों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। एक सामान्य प्रवृत्ति यह पायी गई है कि पीपीए की उपयुक्तता पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। इस प्रकार के कदम से ऐसे परिणाम होंगे जो पूरे क्षेत्र के लिए हानिकारक होंगे। दीर्घावधि पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, ईंधन लिंकेजों की अनुपस्थिति और अपर्याप्तता ने इस क्षेत्र की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इन सभी कारकों के चलते यह क्षेत्र दबाव में आ गया है और यह ऐसी चक्रीय तथा अंतर्संबद्ध परेशानियों से जूझ रहा है जिनका यदि समग्र, गंभीर और पारदर्शी तरीके से निपटान नहीं किया गया तो इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। अन्य क्षेत्रों जिन पर विद्युत नीति ने ध्यान नहीं दिया है, वे विभिन्न अनुमोदनों, भूमि अवाप्ति (अधिग्रहण), पुराने और अकुशल संयंत्रों को जारी रखना, एफएसए नीतियों की स्थिरता, 'विधि में परिवर्तन' के सामान्य मुद्दे पर सर्वसम्मति का अभाव, विनियामकीय अनिश्चितताएं और विलंब आदि से संबंधित मुद्दे हैं। समिति को यह लगता है कि ये सभी विद्युत क्षेत्र की संतुलित और कुशल संवृद्धि के लिए मूलभूत मुद्दे हैं जिन्हें नीतिगत स्तर पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि पिछली बार जब विद्युत नीति की घोषणा की गई थी, उसके पश्चात् काफी समय बीत चुका है, अतः समिति यह सिफारिश करती है कि वर्तमान में विद्युत क्षेत्र में विद्यमान द्वैध, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति के मद्देनजर, राष्ट्रीय विद्युत नीति को बिना किसी विलंब पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त संशोधन लाने के लिए वास्तविकताओं पर ध्यान दिया जाए और विद्युत क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जाए।

सरकार का उत्तर

1. विद्युत अधिनियम की धारा 3(1)के प्रावधानों के अनुरूप, भारत सरकार ने दिनांक 12 फरवरी 2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की थी। राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कुशल तरीके से और उचित दरों पर निर्दिष्ट मानकों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति, वित्तीय बदलाव तथा विद्युत क्षेत्र की व्यावसायिक व्यवहारिकता, उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करना आदि है।

धारा 3 (राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना):–

(1) केंद्र सरकार, समय-समय पर, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय पदार्थ या सामग्री, जल और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर विद्युत प्रणाली के विकास के लिए प्राधिकरण और राज्य सरकारों के साथ परामर्श से, राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार करेगी।

2. इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, केंद्र सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति की समीक्षा और संशोधन करती आ रही है। 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्य दल ने भी राष्ट्रीय विद्युत नीति में संशोधनों के लिए सिफारिशें की हैं।

"विद्युत अधिनियम की धारा 3(3)"

"केंद्र सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकार और प्राधिकरण के परामर्श से उप-धारा(1) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकती है।"

3. राष्ट्रीय विद्युत नीति का मसौदा विचाराधीन है जिसे नियत प्रक्रिया पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी-6/2018-आईपीसी दिनांक 28/07/2020*]

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

सिफारिश सं. 12

समिति यह नोट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत, ऐसे अर्थक्षम खातों के लिए, जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऋणदाता, ऋण के पुनर्गठन पर विचार कर सकते हैं आरबीआई ने दबावयुक्त आस्तियों के निर्वाह्य पुनर्गठन (एस4 ए) के लिए भी एक नीति बनाई है जो विशाल दबावयुक्त आस्तियों के निपटान के लिए एक वैकल्पिक ढांचा है। एस4 ए एक दबावयुक्त ऋणी के लिए एक निर्वाह्य स्तर के निर्धारण की परिकल्पना करता है और बकाया ऋण का निर्वाह्य ऋण तथा इक्विटी/क्वासी इक्विटी साधनों में विभाजन करता है जिससे यह आशा की जाती है कि ऋणदाता उस समय बेहतर स्थिति में होंगे जब ऋणी संकट की स्थिति में होंगे। समिति की राय में, भारतीय रिजर्व बैंक की यह योजना इस क्षेत्र की सहायता के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है परन्तु वास्तव में, स्थिति उतनी वास्तविक नहीं है जितना इसे बनाने का प्रयास किया गया है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए कारणों के बारे में विभिन्न आईपीपी से बातचीत के दौरान, समिति को यह जानकारी दी गई कि विद्युत क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को वित्त द्वारा ऊंची ब्याज दर, विकासकर्ताओं को ब्याज की चरे प्रदान करने से मनाही, न्यायालय के मामलों ऋणदाता संघ द्वारा निर्णय में विलंब जैसे बाह्य कारणों के चलते लागत वृद्धि, कार्यशील पूंजी का अभाव आदि के कारण बढ़ावा मिल रहा है। ये वित्तीय मुद्दे अपनी प्रकृति में सामान्य हैं लेकिन इनमें परियोजना की व्यवहार्यता को प्रभावित करने की क्षमता है। इन समस्याओं, जिन्हें अगर सुलझा लिया जाए तो इनमें परियोजना को प्रभावित करने की क्षमता है, को सुलझाने के लिए किसी असाधारण उपाय की आवश्यकता नहीं है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार की पुनरुद्धार योजनाएं प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए कि सीमांतकारी वित्तीय समावेशन अथवा समायोजन की कमी के चलते विशाल निवेश वाली परियोजनाएं गैर-निष्पादनकारी आस्तियां न बन जाये और ब्याज चर को दबावयुक्त आस्तियों पर हस्तांतरित करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जाए।

सरकार का उत्तर

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21/04/048/2017-18 के द्वारा 5/25 - लचीली पुनर्संरचना स्कीम, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), बाह्य एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय पुनर्संरचना स्कीम (एस4ए) आदि के साथ-साथ संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तंत्र जैसी सभी ऋण पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया है। परिपत्र के अनुसार, ऐसे ऋण खातों में, जहां ऋणदाताओं को कुल जोखिम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जहां खातों को पुनर्संरचित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत पुनर्संरचना चल रही है, समाधान प्रक्रिया को 01 मार्च, 2018 से 180 दिनों के भीतर अथवा 01 मार्च, 2018 के बाद पहले व्यतिक्रम पत्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। यदि समाधान प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं किया गया तो ऋणदाताओं को उक्त समय-सीमा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईबीसी (शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता) के अंतर्गत शोधन अक्षमता आवेदन दायर करना होगा।

2. इस परिपत्र को देश भर के उच्च न्यायालयों में विभिन्न (याचिकाओं के माध्यम से एपीपी, आईपीपीएआई और अनेक विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई, जिन्हें बाद में एक साथ मिला दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने निर्णय में यह घोषणा की कि दिनांक 12.02.2018 का रद्द आरबीआई परिपत्र बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35कक के लिए अधिकारातीत है तथा इसलिए, स्थानांतरित मामलों और याचिकाओं में उठाए गए किसी भी अन्य विवाद में पड़ना अनावश्यक है।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.06.2019 के अपने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में निम्नलिखित की अनुमति दी:

क. समीक्षा अवधि – जब कभी किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी के व्यतिक्रम में होने की रिपोर्ट दी जाती है, ऋणदाता ऐसे व्यतिक्रम से तीस दिनों के भीतर ऋणी के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा शुरू करेगा।

ख. अंतःलेनदार करार (आईसीए): ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना (आरपी) क्रियान्वित की जानी है, समाधान प्रक्रिया (आरपी) को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन के लिए आधार नियम उपलब्ध कराने के लिए उक्त समीक्षा अवधि के दौरान सभी लेनदार एक आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे।

ग. आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्या का 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लेनदारों के 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा कोई भी सहमत निर्णय सभी लेनदारों पर लागू होगा।

घ. कोई समाधान प्रक्रिया केवल तभी ''क्रियान्वित'' मानी जाएगी, यदि ऋणी (स्वामित्व के मामले में कोई पुनर्संरचना/कोई बदलाव के लिए नहीं) समीक्षा अवधि के अंत से 180वें दिन तक किसी भी ऋणदाता के साथ व्यतिक्रम में नहीं होगा। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी तदनंतर व्यतिक्रम को नई समीक्षा प्रवर्तित करने वाला एक नया व्यतिक्रम माना जाएगा।

ङ. समाधान प्रक्रिया के विलंबित क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त प्रावधान:- सभी खातों के लिए- जहां कहीं किसी ऋणी के मामले में एक व्यवहार्य समाधान प्रक्रिया का नीचे दी गई समय-

सीमा के भीतर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, सभी ऋणदाता निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा	अतिरिक्त प्रावधान
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि शुरु होने से 365 दिन	35%

च. ऋणदाता किसी मामले को आईबीसी के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। वे आईबीसी के बाहर अथवा उसके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया निरूपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि संकटग्रस्त परिसंपत्ति को आईबीसी के पास ले जाया जाता है, यह अतिरिक्त प्रावधानों के निवर्तन के रूप में कतिपय प्रोत्साहन देती है।

छ. आईबीसी के बाहर समाधान के लिए ऋणदाताओं की 100% सहमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

समिति की टिप्पणियाँ

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक का पैरा सं. 20 देखें]

नीतिगत ऋण पुनर्गठन

सिफारिश सं. 13

समिति यह नोट करती है कि तापीय विद्युत परियोजनाओं में अधिकांश दबाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं- (i) ईंधन की अनुपलब्धता (क) कोयला ब्लॉकों को रद्द करना, (ख) बिना लिंकेज के परियोजना स्थापित करना; (ii) राज्यों द्वारा पर्याप्त पीपीए का अभाव; (iii) प्रोत्साहकों द्वारा इक्विटी और कार्यशील पूंजी निवेश करने में असमर्थता; (iv) संविदात्मक/प्रशुल्क विवाद; (v) बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) से संबंधित मुद्दे; (vi) परियोजना कार्यान्वयन में विलंब के कारण लागत आधिक्य; (vii) पीपीए में विकासकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्ण तरीके से बोली लगाना। एक बार किसी परियोजना को गैर-निष्पादनकारी आस्ति के रूप में श्रेणीकृत कर दिया जाता है तो भिन्न क्षमता के उपचारात्मक उपाय लाए जाते हैं। उपलब्ध उपायों में से एक नीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वामित्व में परिवर्तन के द्वारा खातों के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई है जबकि ऋणदाता बैंक द्वारा कई प्रयास किए जाने के बावजूद भी प्रचालनात्मक/प्रबंधात्मक अकुशलताओं के कारण ऋणी की कंपनी दबाव से बाहर नहीं निकल पाती है। संयुक्त ऋणदाता मंच (ज्वाइंट लेंडर फोरम) खाते की समीक्षा करता है और यह जांच करता है कि क्या स्वामित्व में परिवर्तन से खाते की व्यवहार्यता प्रभावित होगी। इसमें यह परिकल्पना भी की गई है कि नया प्रमोटर ऐसा कोई व्यक्ति/इकाई/अनुषंगी/सहयोगी आदि नहीं होना चाहिए जो कि विद्यमान प्रमोटर अथवा समूह से हो और बैंक को यह स्पष्टतया बता देना चाहिए कि प्राप्तकर्ता विद्यमान प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं है। यदि एसडीआर के अंतर्गत वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो बैंक मामले को एनसीएलटी को भेज सकते हैं। एसडीआर केवल उन मामलों में कार्यान्वित की जाती है जहां पर स्वामित्व में परिवर्तन से ऋण आस्ति के आर्थिक मूल्य में और उनके देयों की वसूली की संभावना में सुधार की गुंजाइश हो। इससे ऋणदाताओं की उन खातों जो अनुमोदित व्यवहार्यता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, के संबंध में स्वामित्व

परिवर्तन की पहल करने की क्षमता बढ़ जाती है। पुनर्गठन का आधारभूत लक्ष्य इकाइयों के आर्थिक मूल्य का संरक्षण करना है। समिति पाती है कि नीतिगत ऋण पुनर्गठन योजना अत्यधिक प्रभावी नहीं है क्योंकि इससे उन कारणों का समाधान नहीं होता जिनकी वजह से परियोजना एनपीए बन गई। समिति को बताया गया है कि किसी स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा टीईवी अध्ययन के द्वारा तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही पुनर्गठन पर विचार किया जाता है। अमुक दर पर ईंधन की खरीद और अमुक दर पर उत्पादित विद्युत दर की बिक्री जैसी अवधारणाओं पर अध्ययन में विचार किया जाता है। पुनर्गठन योजनाओं का आशानुरूप प्रचालन अवधारणाओं और अन्य शर्तों जिनमें विनियामक द्वारा प्रशुल्क का समय पर निर्धारण किया जाना, विद्युत प्राप्त करने की समय-सारणी की उपलब्धता और पीपीए का अनुपालन शामिल है, के अध्यधीन होता है। समिति पाती है कि एसडीआर के बाद भी स्ट्रेस (दबाव) के लिए उत्तरदायी कारण यथावत बने रहते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्वामित्व के प्रतिस्थापन के बाद अपेक्षित प्रचालनात्मक विशेषज्ञता और प्रबंधकीय क्षमता वाले विशेषज्ञता और टेक्नोक्रेट उपलब्ध होंगे जो कि निश्चित रूप से स्थिति को बदल देंगे। अतः, एसडीआर के अंतर्गत कार्रवाई कल्पनाओं पर आधारित होती है क्योंकि प्रचालनात्मक/प्रबंधकीय अक्षमताओं को इंगित करना कठिन होता क्योंकि एनपीए हेतु बताए गए कारण प्रबंधकीय नियंत्रण और प्रबंधन से बाहर होते हैं।

अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एसडीआर संबंधी दिशानिर्देश की समीक्षा की जाए और प्रबंधन को बदलने की बजाय एक व्यावहारिक और उचित तंत्र बनाया जाए। प्रबंधन में परिवर्तन पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि परियोजना के दबावग्रस्त होने की स्थिति हेतु केवल प्रबंधन द्वारा की गई अनदेखी ही जिम्मेदार है।

सरकार का उत्तर

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21/04/048/2017-18 के द्वारा 5/25 - लचीली पुनर्संरचना स्कीसम, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), बाह्य एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय पुनर्संरचना स्कीम (एस4ए) आदि के साथ-साथ संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तंत्र जैसी सभी ऋण पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया है। परिपत्र के अनुसार, ऐसे ऋण खातों में, जहां ऋणदाताओं को कुल जोखिम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जहां खातों को पुनर्संरचित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत पुनर्संरचना चल रही है, समाधान प्रक्रिया को 01 मार्च, 2018 से 180 दिनों के भीतर अथवा 01 मार्च, 2018 के बाद पहले व्यतिक्रम पत्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। यदि समाधान प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं किया गया तो ऋणदाताओं को उक्ति समय-सीमा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईबीसी (शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता) के अंतर्गत शोधन अक्षमता आवेदन दायर करना होगा।

2. इस परिपत्र को देश भर के उच्च न्यायालयों में विभिन्नं याचिकाओं के माध्याम से एपीपी, आईपीपीएआई और अनेक विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई, जिन्हें बाद में एक साथ मिला दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने निर्णय में यह घोषणा की कि दिनांक 12.02.2018 का रद्द आरबीआई परिपत्र बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35कक के लिए अधिकारातीत है तथा इसलिए, स्थानांतरित मामलों और याचिकाओं में उठाए गए किसी भी अन्य विवाद में पड़ना अनावश्यक है।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.06.2019 के अपने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में निम्नलिखित की अनुमति दी:–

क. समीक्षा अवधि – जब कभी किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी के व्यतिक्रम में होने की रिपोर्ट दी जाती है, ऋणदाता ऐसे व्यतिक्रम से तीस दिनों के भीतर ऋणी के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा शुरू करेगा।

ख. अंतःलेनदार करार (आईसीए): ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना (आरपी) क्रियान्वित की जानी है, समाधान प्रक्रिया (आरपी) को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन के लिए आधार नियम उपलब्ध कराने के लिए उक्त समीक्षा अवधि के दौरान सभी लेनदार एक आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे।

ग. आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य का 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लेनदारों के 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा कोई भी सहमत निर्णय सभी लेनदारों पर लागू होगा।

घ. कोई समाधान प्रक्रिया केवल तभी ''क्रियान्वित'' मानी जाएगी, यदि ऋणी (स्वामित्व के मामले में कोई पुनर्संरचना/कोई बदलाव के लिए नहीं) समीक्षा अवधि के अंत से 180वें दिन तक किसी भी ऋणदाता के साथ व्यतिक्रम में नहीं होगा। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी तदनंतर व्यतिक्रम को नई समीक्षा प्रवर्तित करने वाला एक नया व्यतिक्रम माना जाएगा।

ङ. समाधान प्रक्रिया के विलंबित क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त प्रावधान:- सभी खातों के लिए- जहां कहीं किसी ऋणी के मामले में एक व्यवहार्य समाधान प्रक्रिया का नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, सभी ऋणदाता निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा	अतिरिक्त- प्रावधान
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि शुरु होने से 365 दिन	35%

च. ऋणदाता किसी मामले को आईबीसी के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। वे आईबीसी के बाहर अथवा उसके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया निरूपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि संकटग्रस्तब परिसंपत्तिर को आईबीसी के पास ले जाया जाता है, यह अतिरिक्तप प्रावधानों के निवर्तन के रूप में कतिपय प्रोत्साहन देती है।

छ. आईबीसी के बाहर समाधान के लिए ऋणदाताओं की 100% सहमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला

सिफारिश सं. 14

समिति यह नोट करती है कि उक्त 34 विद्युत परियोजनाओं में से अधिकांश के दबावग्रस्त होने का मुख्य कारण समुचित ईंधन आपूर्ति करार का न होना है। समिति आगे यह नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय

द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोल लिंकेजेज के साथ पर्याप्त विद्युत परियोजना क्षमता अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने 'शक्ति' योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत कई दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को कोल लिंकेज आबंटित की गई है। इसके बावजूद भी, अभी कई विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके पास दीर्घकालिक विद्युत क्रय (पीपीए) न होने सहित की अन्य कारणों से एफएसए नहीं है। दबावग्रस्त विद्युत परियोजना के वे विकासक ने जिनके पास एफएसए हैं, यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें 85 प्रतिशत पीएलएफ पर विद्युत संयंत्र चलाने हेतु पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं कराया गया है/संविदा नहीं की गई है। यही नहीं, कई अवसरों पर उन्हें विभिन्न कारणों से संविदाकृत गुणवत्ता के कोयले से खराब स्तर का कोयला मुहैया कराया जाता है जिससे कोयले की मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ जाता है। यद्यपि कोल इंडिया ने बताया है कि उन्होंने आपूर्तित कोयले के स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन के अनुसार बिल देना शुरू किया है, तथापि विकासकों की शिकायत है कि इस अवस्था में केवल कोयले की गुणवत्ता में अंतर के लिए रिफंड है न कि दी गई रायल्टी और करों के लिए। साथ ही, आपूर्ति किए जा रहे खराब स्तर के कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू कम होने के कारण वे वितरण कंपनियों के लिए संविदाकृत/वादे के अनुसार विद्युत उत्पादन नहीं कर पाते और फलस्वरूप उन्हें विद्युत क्रय करार के अंतर्गत दंड देना पड़ जाता है। समिति ने इस मामले से संबंधित सभी प्राधिकारियों/पणधारकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् यह पाया है कि इस समस्या का मूल कारण प्राधिकारियों और विद्युत विकासकों के बीच समन्वय हेतु किसी तंत्र का न होना है। अधिकांश मामलों का समाधान आसानी से हो जाता यदि सभी संबंधित पणधारक उनके समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा करने हेतु नियमित अंतराल पर साथ में बैठक करते। कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके पास कोयले के आरक्षित भंडार और उत्खनन क्षमता पर्याप्त मात्रा में है जिससे देश के समस्त विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। उपरोक्त के दृष्टिगत समिति पुरजोर सिफारिश करती है किः

विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि वे चाहें तो 85 प्रतिशत पीएलएफ के साथ विद्युत संयंत्र चला सके।

समिति कोल इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र तृतीय पक्ष के प्रतिवेदन के अनुसार बिल देने के कदम की सराहना करते हुए सिफारिश करती है कि रायल्टी और करों में समानुपातिक कटौती के मुद्दे पर भी विचार किया जाए।

यद्यपि समिति की राय है कि सस्ता होने के कारण घरेलू कोयले का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए, तथापि यह चाहती है कि यदि कोई विद्युत संयंत्र आयातित कोयले के कुछ प्रतिशत, मान लीजिए 15-20 प्रतिशत का उपयोग करके भी अर्थक्षम रहता है तो इसे ऐसा करने देना चाहिए। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि यदि इन परियोजनाओं के लिए पारदर्शी रूप में कोयले का आयात किया जाता है तो सरकार को ऐसी विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए अथवा इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

1. कोयला मंत्रालय ने सूचित किया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी कोयला खपत मानदंडों के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) 85%पीएलएफ आंका गया है। तथापि, वर्ष 2009 से पूर्व संयंत्रों के लिए, पिछले 5 वर्षों की उनकी खपत शैली के आधार पर एसीक्यू का निर्धारण किया गया है। कोयला कंपनियां ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को न्यूनतम प्रतिबद्धता स्तर (ट्रिगर स्तर) पर कोयले की आपूर्ति करती हैं।वर्ष 2009 से पूर्व संयंत्रों के लिए ट्रिगर स्तर एसीक्यू का 90% है,

जबकि वर्ष 2009 के पश्चात संयंत्रों के लिए, यह आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के निर्णय के आधार पर वर्ष 2016-17 से 75 प्रतिशत पर जारी है। न्यूनतम प्रतिबद्धता स्तर 85 प्रतिशत पीएलएफ पर विद्युत संयंत्रों का परिचालन सुनिश्चित नहीं करता। तथापि,सीआईएल अधिकतर विद्युत संयंत्रों को न्यूनतम प्रतिबद्धता स्तर से ज्यादा कोयले की आपूर्ति करता है।कुछ मामलों में, खदानों में उत्पादन की समस्या, रेलवे द्वारा रैकों की कम आपूर्ति के साथ-साथ कम विद्युत मांग के कारण विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की कम खरीद, देय राशि का भुगतान न करना, माल उतारने की बाधाओं आदि से कोयले की आपूर्ति प्रभावित होती है।

2. घरेलू कोयले की उपलब्धता की कमी को पूरा करने और उनकी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए, विद्युत यूटिलिटियां सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए कोयले का आयात कर रही हैं।इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं।

3. पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में कोयला आधारित ताप संयंत्र द्वारा कोयले की खपत और कुल प्राप्ति (घरेलू एवं आयातित) का विवरण निम्नानुसार हैः

(आंकड़ें मिलियन टन में)

वर्ष	प्राप्ति					खपत
	घरेलू	आयातित			कुल प्राप्ति	
		सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए	आयातित कोयला आधारित संयंत्र	कुल आयातित		
2016-17	494.8	19.8	46.3	66.1	560.9	574.3
2017-18	538.6	17.0	39.4	56.4	595.0	608.0
2018-19	582.1	21.4	40.3	61.7	643.7	628.9
2019-20	569.5	23.8	45.5	69.2	638.7	622.2

3.1 जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, वर्ष 2019-20 के दौरान, जिसमें अल्प कमी दर्शाई गई है, घरेलू कोयले की प्राप्ति में वृद्धि हो रही है।वर्ष 2019-20 के दौरान घरेलू स्रोतों से प्राप्त 569.5 मीट्रिक टन की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में घरेलू कोयले की खपत 577.3 मीट्रिक टन हुई जबकि 23.8 मीट्रिक टन कोयले के सम्मिश्रण के उद्देश्य से आयात किया गया था।जैसाकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, देश में घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार दर्ज करते हुए खदानों के पास 75 मीट्रिक टन का और संयंत्रों के पास 45 मीट्रिक टन का प्रारंभिक माल उपलब्ध है।

3.2 उत्पादन लक्ष्य के आधार पर, वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू कोयले से अभिकल्पित संयंत्रों की कोयला आवश्यकता का अनुमान लगभग 645 मीट्रिक टन है।वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न घरेलू स्रोतों से

कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता 645 मीट्रिक टन की आवश्यकता की तुलना में लगभग 668 मीट्रिक टन है, जिसमें सीआईएल से 550 मीट्रिक टन, सिंगरेनी कोल कॉलरीज लिमिटेड (एससीसीएल) से 55 मीट्रिक टन और सीमित स्रोतों से 63 मीट्रिक टन आदि शामिल है।वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू कोयले की प्रत्याशित उपलब्धता आवश्यकता की तुलना में अधिक है, लागत अर्थव्यवस्थाओं और परिवहन प्रचालन तंत्र के आधार पर सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात की बहुत कम आवश्यकता हो सकती है।इसके संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने सभी उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) जो भी सम्मिश्रण उद्देश्य से कोयला का आयात करता हो, से अनुरोध किया है कि,घरेलू कोयले के साथ अपने आयात को परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे।वर्तमान में, दिनांक 18.06.2020 की स्थिति के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के पास उपलब्ध 49.31 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक लगभग 28 दिनों तक टीपीपी के जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है।

3.3 घरेलू कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए, उनकी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए और घरेलू कोयले की उपलब्धता में आई कमी, यदि कोई हो तो, को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं। तथापि, घरेलू कोयले की प्राप्ति की तुलना में सम्मिश्रण के लिए आयातित कोयले की मात्रा बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले से अभिकल्पित विद्युत संयंत्र, अपनी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करते हैं क्योंकि वह आयातित कोयले से ही संचालित होने के लिए बने हैं। इसके अतिरिक्त, कोयले का आयात निर्बाध सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत हैं, और इसलिए, विद्युत यूटिलिटियां अपनी लागत अर्थव्यवस्थाओं पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती हैं। सीआईएल के दिनांक 05.02.2019 के आयात प्रतिस्थापन सूचना के अनुसार, विद्युत यूटिलिटों के पास आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति करने का विकल्प दिया गया है ताकि वे वित्त वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) की तुलना में आई कमी को पूरा कर सकें। तदनुसार, सीआईएल ने दिनांक 27.05.2019 को वर्ष 2019-20 के लिए भी आयात प्रतिस्थापन से संबंधित दूसरी सूचना जारी कर दी है।

3.4 तथापि, सरकार सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात को कम करने और उसे घरेलू कोयले से परिवर्तित करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि कोयले का आयात दुर्लभ विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की जरूरत पर बल देता है।इसके लिए, विद्युत मंत्रालय ने जेनकोस को सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयले का उपयोग करने के सर्वोत्तम प्रयास हेतु पत्र लिखा है।इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे ई-सुविधा केंद्र के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की स्थापना करे ताकि जेनकोस द्वारा उठाए गए मामलों के निपटान और जरूरी मंजूरियों की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके ताकि वे सम्मिश्रण उद्देश्यों हेतु आयातित कोयले के बदले घरेलू कोयले का उपयोग करने में सक्षम हो जाए।इसके अतिरिक्त, अपर सचिव (कोयला मंत्रालय) की अध्यक्षता में कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है।

3.5 विद्युत क्षेत्र को आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की कुल संख्या 65 है। इन 65 कोयला ब्लॉकों में से, तीन कोयला ब्लॉकों को वापिस सौंप दिया गया है और कुल 11 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है।

3.6 मई, 2016 को सरकार ने परिवहन लागत में बचत और सबसे कुशल संयंत्र के संचालन के माध्यम से विद्युत उत्पादन लागत को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।राज्य/केंद्रीय जेनकोस के पास अपने ही विद्युत संयंत्रों

में कोयले का सबसे कुशल और किफायती तरीके से उपयोग करने के साथ-साथ सस्ती विद्युत उत्पादन हेतु अन्य राज्य जेनकोस/केंद्रीय जेनकोस/आईपीपी उत्पादन स्टेशनों को कोयला अंतरित करने का लचीलापन है।

3.7 कोयला कंपनियों और सीआईएल में उपलब्ध निगरानी तंत्र के साथ-साथ, विद्युत यूटिलिटी क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति की निगरानी नियमित रूप से अंतर मंत्रालयी उप-समिति करती है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं और इसका गठन मंत्रिमंडल सचिवालय की अवसंरचना समीक्षा समिति द्वारा किया जाता है।यह उप-समिति विद्युत संयंत्रों के लिए नाजुक कोयला स्टॉक की स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र के संबंध में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेती है।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

पुराने विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाना

सिफारिश सं. 15

समिति यह पाती है कि जहां तक विद्युत उत्पादन क्षमता का संबंध है देश विद्युत की कमी से विद्युत की पर्याप्तता वाला देश बन चुका है। कुछ समय पूर्व तक देश में बिजली की भारी कमी थी। देश में निरंतर बढ़ती विद्युत की मांग के कारण विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर को देखते हुए निजी कंपनियां आगे आई हैं और इन्होंने बारहवीं योजना अवधि अर्थात् 2012-17 के दौरान 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 99,209.5 मेगावाट का वृहत् क्षमता संवर्धन किया है। उक्त अवधि के दौरान अकेले निजी क्षेत्र ने ताप विद्युत उत्पादन में 53,660.5 मेगावाट का योगदान दिया है। कम अवधि में इतने अधिक उत्पादन क्षमता संवर्धन से विद्युत की वास्तविक मांग की तुलना में व्यापक विद्युत उत्पादन क्षमता आधार तैयार हुआ है जिसके कारण कई विद्युत संयंत्र अत्यधिक कम प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर काम करने को बाध्य हो रहे हैं और यही नहीं उनमें से कुछ बेकार भी हो गए है। इसी अवधि के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कम औद्योगिक विद्युत मांगों ने आग में घी डालने का काम किया है। कई विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें बढ़ती विद्युत मांग की प्रत्याशा में तैयार किया गया था और आरंभ किया गया था, में देश में विद्युत मांग और आपूर्ति के परिदृश्य में अचानक परिवर्तन होने के कारण दबाव के चिह्न दिखाई देने शुरू हो गए। समिति का यह मानना है कि विद्युत अधिशेष होने का वर्तमान परिदृश्य वास्तविकता नहीं है। देश में करोड़ों घर ऐसे हैं, जिनकी बिजली तक पहुंच नहीं है। देश की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत विकसित देशों की तुलना में कुछ भी नहीं है। सामान्यतया वितरण कंपनियां महंगी दरों पर बिजली की खरीद के लिए पावर आउटेजेज को प्राथमिकता देते हुए विद्युत की न्यून-आपूर्ति करते हैं। लेकिन, समिति को आशा है कि आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र से विद्युत की मांग में भी अवश्य वृद्धि होगी। जहां तक आपूर्ति का संबंध है, देश में कई विद्युत संयंत्र ऐसे हैं जिनका संभावित जीवनकाल काफी समय पूर्व समाप्त हो चुका है और नई ताप विद्युत परियोजना की संस्थापना हेतु शायद ही कुछ नए प्रस्ताव आए हैं। विषय की जांच के दौरान समिति को बताया गया कि नए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बावजूद ताप विद्युत विभिन्न कारणों से देश के विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार बना रहेगा। इसके दृष्टिगत, समिति का विश्वास है कि कम मांग और उच्च आपूर्ति का वर्तमान संकट अस्थायी प्रकृति का है और यदि समय पर प्रभावी उपाय किए जाएं तो काफी हद तक इसका समाधान किया जा सकता है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को देश में बिजली की मांग को बढ़ाने हेतु प्रयास करने चाहिए क्योंकि देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अभी भी काफी कम है और सभी घरों को चौबीस घंटे सातों दिन

बिजली उपलब्ध कराने का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ, सरकार को पुराने विद्युत संयंत्रों जिनका संभावित जीवनकाल समाप्त हो चुका है, जिनकी उत्सर्जन दर निर्धारित से अधिक है और जिनके पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है, को हटाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। चूंकि इन विद्युत संयंत्रों को अंततः हटाना ही है, इसलिए प्रक्रिया में तेजी लाने से नई लेकिन दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को मानक आस्तियां बनाने में सहायता मिलेगी। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को नई ताप विद्युत परियोजना शुरू करने पर विचार करना चाहिए और पुराने संयंत्रों को इस प्रकार से हटाना चाहिए कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके जिससे न केवल विद्युत क्षेत्र अपितु बैंकिंग क्षेत्र भी लाभांवित हो सके।

सरकार का उत्तर

1. भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए "सभी के लिए 24X7 विद्युत" उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषीय उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त शुरूआत की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों ने "सभी के लिए 24X 7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ-साथ, भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा सहयोग प्रदान करती है।

2. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी तथा बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-"सौभाग्य" का शुभारंभ किया है। इससे 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है।

3. विद्युत एक समवर्ती विषय है। तथापि, केंद्रीय सरकार विभिन्न केंद्रीय सरकारी वित्तपोषित स्कीमों के माध्यम से अपने पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में राज्यों को सहयोग दे रही है।

4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना, 2018 के अनुसार, वर्ष 2017-22 के दौरान निवृत्ति के लिए 22,716 मेगावाट (5,927 मेगावाट+16,789 मेगावाट) की कोयला आधारित क्षमता पर विचार किया गया है। यह सीईए द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें 5,927 मेगावाट की पुरानी तथा अकुशल इकाईयों के साथ-साथ 16,789 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता शामिल है जिसमें नए पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार SOx उत्सर्जनों को घटाने के लिए एफजीडी (फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन) के अधिष्ठापन हेतु स्थान नहीं है।

5. ये सभी मापदंड देश में विद्युत की खपत में सुधार करेंगे।

[*विद्युत मंत्रालय का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी दिनांक* 28/07/2020]

अध्याय – तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

नियामक मुद्दे

सिफारिश सं. 10

समिति नोट करती है कि विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र में स्ट्रैस से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए हैं। ऋणदाताओं और अन्य लोगों के साथ जुलाई, 2015 से कई बैठकें हुई हैं लेकिन अब तक ठोस परिणाम नहीं आए हैं। समिति यह महसूस करती है कि वित्तीय मामलों के अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक/विनियामक मुद्दों के कारण भी स्ट्रैस होता है। विनियामक मामले बिना किसी समीक्षा के लिए वर्षों से लंबित हैं। यहां तक कि वितरण कंपनियों द्वारा विधि में परिवर्तन के संबंध में विनियामक निकायों के निर्णयों को नहीं माना जाता है और विधि में परिवर्तन की व्याख्या विभिन्न विनियामकों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से की जाती है जिससे इस क्षेत्र में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। विधि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी स्थिति सभी जगह एक सी होनी चाहिए और यदि संभव हो सके तो इसे विनियामकों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए। समिति को इस बात की जानकारी है कि यह एक समवर्ती विषय है और उत्पादन अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्यकलाप नहीं है लेकिन इन सीमाओं के भीतर ही, इस क्षेत्र को स्थिर बनाने के लिए कोई एकरूप तंत्र खोजना और स्थापित करना पड़ेगा। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सुमचित कदम उठाए जाने चाहिए कि विधि में परिवर्तन की स्थिति से उत्पन्न आदेशों के संबंध में सततता और एकरूपता हो। इस बारे में भी प्रावधान किए जाने चाहिएं कि विनियामकों के मामलों को एपीटीईएल/उच्चतर न्यायालय में उनके विचारार्थ और निर्णयार्थ ले जाने की स्थिति में डिस्कॉमों द्वारा विनियामकीय भुगतान का कुछ प्रतिशत वहन किया जाए।

सरकार का उत्तर

कानून में परिवर्तन के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.01.2016 को अधिसूचित टैरिफ नीति के पैरा 6.2.4 के अनुसार बोली प्रदान करने के पश्चात, यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और कर में कोई भी बदलाव होता है या किसी भी सरकारी साधन द्वारा लागत में संबंधित परिवर्तन होते हैं तोइसे "कानून में परिवर्तन" के रूप में माना जा सकता है, और जब तक कि पीपीए में अन्यथा प्रदान न किया जाए, उपयुक्त आयोग की मंजूरी के अधीन इसे एक पास-थ्रू के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

निर्णयों में एकरूपता के संदर्भ में, कानून में परिवर्तन के बारे में विनियामक आदेश मुख्य रूप से पीपीए के प्रावधानों पर, साथ ही इन प्रावधानों की व्याख्या पर भी निर्भर करते हैं।विद्युत अधिनियम में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य/संयुक्त विद्युत आयोगों के बीच एक पदानुक्रमित संबंध की परिकल्पना नहीं की गई है।राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) अपनी-अपनी व्याख्या प्रदान कर सकते हैं।तथापि, असंतुष्ट पक्ष विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपटेल) से संपर्क करने/सर्वोच्च न्यायालय में एसईआरसी/जेईआरसी के फैसले को चुनौती देने, जैसा भी मामला हो, के लिए स्वतंत्र हैं।तथापि, एपटेल/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एसईआरसी/जेईआरसी के सभी क्षेत्राधिकारों में समान

रूप से लागू हैं।यह उल्लेख करना उचित है कि "कानून में परिवर्तन" के बारे में मामलों की संख्या का निर्धारण एपटेल द्वारा किया गया है और यह सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

सिफारिश के संदर्भ में जब उच्च न्यायिक फोरम में आदेश को चुनौती दी जाती है तो निश्चित प्रतिशततामें भुगतान किया जाना चाहिए। यह नोट किया जाए कि विद्युत अधिनियम विनियामक आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज करते समय विनियामक देयताओं की कुछ प्रतिशतता के भुगतान के प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है, ऐसे प्रावधान पीपीए में किए जाने चाहिए।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27.08.2018 के पत्र द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं:

(I) यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर या कर में कोई भी बदलाव होता है या किसी भी सरकारी साधन द्वारा लागत में संबंधित परिवर्तन होते हैं, इसे कानून में परिवर्तन के रूप में माना जा सकता है, और जब तक कि पीपीए में अन्यथा प्रदान न किया जाए तो इसे एक पास-थ्रू के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

(II) केंद्रीय आयोग केवल घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और कर में ऐसे परिवर्तन की प्रति इकाई प्रभाव का निर्धारण करेगा जिसे आगे बढ़ाया जाएगा।

(III) कानून में परिवर्तन के अंतर्गत प्रति इकाई प्रभाव के निर्धारण हेतु याचिका दायर करने के 14वेंदिन से केंद्रीय आयोग द्वारा सभी राज्यों/लाभार्थियों को एक मसौदा आदेश परिचालित किया जाएगा।किसी भी आपत्ति/अभ्यावेदन को उनके द्वारा याचिका दायर करने के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(IV) प्रति इकाई प्रभाव की गणना करते हुए पास-थ्रू आदेश याचिका दायर करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

(V) कानून में इस तरह के परिवर्तन का प्रभाव कानून में परिवर्तन की तारीख से लागू होगा।

(VI) जहां सीईआरसी ने पहले से ही कानून में परिवर्तन के अंतर्गत किसी भी मामले में घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और कर में बदलाव के लिए पास-थ्रू की अनुमति देने के लिए आदेश पारित कर दिया है, तोयह वास्तव में सभी मामलों पर लागू होगा और इस संबंध में कोई अतिरिक्त याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(*विद्युत मंत्रालय का का.ज्ञा.सं. पी*-6/2018-*आईपीसी, दिनांक* 28/07/2020)

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 17 देखें)

अध्याय - पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
18 मार्च, 2021
27 फाल्गुन, 1942 (शक)

राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
सभापति
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-एक

दिनांक 08.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के निर्णय के कार्यान्वयन की स्थिति

पैरा सं.	कार्रवाई	स्थिति
2	कोयला मंत्रालय के दिनांक 22 मई, 2017 के पत्र सं.23011/15/2016-सीपीडी/सीएलडी के तहत जारी शक्ति नीति में किए जाने वाले संशोधन।	कोयला मंत्रालय के दिनांक 25.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत शक्ति नीति 2017 में संशोधन जारी किये गए हैं।
2.1	शक्ति नीति के खंड ख(vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:	
	"ख(viii): पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किसी बात के होते हुए भी, आगे निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है"	जोड़ा गया
(क)	"निजी विद्युत उत्पादकों सहित ऐसे सभी विद्युत संयंत्रों को जिन्होंने पीपीए नहीं किया है, तीन माह की न्यूनतम अवधि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए शक्ति नीति के ख(iii) एवं ख(iv) के अंतर्गत कोयला लिंकेज की अनुमति होगी, परंतु इसमें यह और है कि इस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहैड मार्केट (डीएएम) में अथवा डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट एनर्जी प्राइस (दीप) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में बेचा जाएगा।इस संबंध में कोयला मंत्रालय के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा एक कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी।"	• कोयला मंत्रालय के दिनांक 25.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत शक्ति नीति 2017 में संशोधनों को जारी किया गया है। • विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 02.12.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शक्ति के पैरा(ख)(iii) में अंतर्निहित पैरा ख(viii)(क) के प्रावधानों के अनुसार, कोयले की आवंटन हेतु कार्य प्रणाली जारी की है।दिनांक 19.03.2020 को बोली लगाई गई थी और कुल 1.34 मीट्रिक टन मात्रा में कोयले का आवंटन किया गया था। जुलाई-सितंबर, 2020 की तिमाही के लिए दूसरे दौर की नीलामी हेतु, 08 सफल बोलीकर्ताओं द्वारा 4.51 मी. टन की कुल प्रदत्त मात्रा में से, 0.74 मी. टन को शून्य प्रीमियम सहित बुक किया गया है।
(ख)	"कोई उत्पादक, जिसने डिस्कॉम द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण पीपीए समाप्त कर दिया है, को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक उसे दीर्घ/मध्य अवधि पीपीए के अंतर्गत कोई दूसरा क्रेता नहीं मिलता है,इनमेंसे जो भी पहले हो, दीप पोर्टल अथवा पावर एक्सचेंज का उपयोग कर अल्पकालिक पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग करने की अनुमति दीजाए। पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान किए जाएं।"	• दिनांक 30.08.2019 को पर्याप्त सुरक्षा उपाय जारी किए गए।

(ग)	"उपरोक्त शक्ति नीति के पैरा ख(v) के प्रावधान ऐसे मामलों में भी लागू होंगे जिसमें विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नोडल एजेंसी, राज्यों के समूह के लिए, ऐसे राज्यों से मांग के बिना भी विद्युत मांग को समेकित करती है/अधिप्राप्त करती है।"	• पीएफसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। 10 मीट्रिक टन की लिंकेज का आवंटन किया गया है।
(घ)	"केंद्रीय एवं राज्य उत्पादन कंपनियां ऐसी संकटग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों की विद्युत के समूहक के रूप में कार्य कर सकती हैं और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से इसे खरीद सकती है और डिस्कॉमों को उस विद्युत को ऐसे डिस्कॉमों के मौजूदा पीपीए के लिए उस समय तकप्रदान कर सकेंगे जब तक उनके अपने संयंत्र चालू नहीं कर लिए जाते हैं। यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय एवं राज्य उत्पादन कंपनियों को ऐसी संकटग्रस्त विद्युत परिसंपत्तियों हेतु मौजूदा उपयोग नहीं किए गए ब्रिज लिंकेज को उपयोग करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि वे प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली सहित टोलिंग दिशा-निर्देशों के अन्य पैरामीटरों को पूरा करते हों।"	• एनटीपीसी द्वारा दिनांक 04.12.2019 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से विद्युत खरीद के लिए एनटीपीसी के पत्र की प्रतिक्रिया में, अब तक एक ही राज्य ने अपनी आवश्यकता/ प्रारंभिक सहमति दी है।अंतिम स्वीकृति, बोली के द्वारा स्वीकार्य दरों की पता लगाने पर होगी। • एनटीपीसी अन्य राज्यों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि प्रतिस्पर्धी दरों को आकर्षित करने के लिए कुल आवश्यकता पर्याप्त संख्या से कहीं अधिक हो। साथ ही साथ, निविदा जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
(ङ)	"ऐसे सभी मामलों में, जिनमें उक्त ख(viii), (क), (ख), (ग) और (घ) के प्रावधानों का उपयोग किया गया है, प्रचालन व्ययों को वहन करने के बाद इस तरीके से उत्पन्न "निवल अधिशेष" पूर्णतः पहले ऋण अदायगी के लिए उपयोग किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए डीएफएस के परामर्श से एक व्यवस्था तैयार करेगा।"	• सृजित निवल अधिशेष कोप्रथमतः कर्ज के भुगतान के लिए उपयोग करने हेतु सुनिश्चित करने वाली कार्यप्रणाली कोदिनांक 05.08.2019 को जारी किया गया।शुद्धि पत्र दिनांक 20.08.2019 को जारी किया गया।
2.2	शक्ति नीति के ख (ii) के पहले पैरे के अंत में निम्नलिखित को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, "पीपीए सहित" शब्दों के बाद:	जोड़ा गया
(i)	वे विद्युत संयंत्र, जिन्हें पहले ही घरेलू कोयले के आधार पर 17.05.2017 को अथवा उससे पहले मान्य दीर्घकालिक पीपीए प्राप्त थे, तथा जो किसी वजह से शक्ति ख (ii) के अंतर्गत लिंकेज नीलामी में भाग नहीं ले सके थे, उन्हें शक्ति योजना ख (ii) नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।	
(ii)	वे बोलीकर्ता, जिन्होंने शक्ति ख(ii) नीलामियों में पहले ही भाग ले लिया है तथा संपूर्ण एसीक्यू के लिए लिंकेज सुरक्षित नहीं रख सके हैं वे छूट का निर्धारण करने के पश्चात ख(ii) के अंतर्गत बाद के चरण में भावी नीलामियों में भाग लेकर शेष मात्रा के लिए भी लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।	• बोली आयोजित की गई।

2.3	शक्ति नीति के पैरा ख (iii) के अंत में निम्नलिखित को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, "नीलामी प्रक्रिया" शब्दों के बाद : "ऐसी नीलामियां/बोलियां : नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाएंगी"।	• विद्युत मंत्रालय के दिनांक 02.12.2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत शक्ति के पैरा ख (iii) में अंतर्निहित पैरा ख(viii)(क) के प्रावधानों के अनुसार, कोयले के आवंटन हेतु कार्य प्रणाली जारी की गई है। • कार्यप्रणाली के अनुसार, हर तिमाही में नीलामी की जाएगी।कोयला कंपनियों की वेबसाइट में एक वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें नीलामी आयोजित होने वाले महीनों का विवरण दिया जाएगा।
3	अन्य अनुमोदन:	
3.1	विद्युत क्षेत्र के लिए ई-नीलामी हेतु कोयले की मात्रा में वृद्धि करने संबंधी अनुमोदन:कोयला मंत्रालय 'स्पॉट' ई-नीलामी से समतुल्य मात्रा में कमी करके स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक कोयला निर्धारित करेगा। कोल इंडिया लि. स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन के अंतर्गत ई-नीलामी (स्पॉट नीलामी तथा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्शन सहित) के लिए कुल कोयले के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कोयला विद्युत के लिए निर्धारित करेगा। फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की आपूर्ति में वृद्धि विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नियमित आवश्यकता तथा अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त होगी।	• कोयला मंत्रालय ने दिनांक 25.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत आदेश जारी किया है। • सीआईएल ने अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी (एसएफईए) के अंतर्गत 27.12मीट्रिक टन कोयले का आवंटन किया है।
3.2	कोयले की कम आपूर्तियों की नॉन-लैप्सिंग संबंधी अनुमोदन: यदि विद्युत संयंत्र, कोयला कंपनियों पर देयताओं के रूप में अग्रिम भुगतान करने, भारतीय रेलवे पर देयताओं के रूप में भुगतानों तथा अपने संयंत्रों में रैकों की उतराई की व्यवस्था करने तक सीमित अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं तो उसके बाद उस माह में कोयले की कोई भी कम आपूर्ति, चाहे वह कोयला कंपनी में कोयले की कम आपूर्ति के कारण हो अथवा रैकों के उपलब्ध न होने के कारण हो, उन्हें लैप्स नहीं किया जाए तथा तीन माह की अधिकतम अवधि तक आने वाले महीनों के लिए आगे ले जाया जाएगा (5% अथवा इसी तिमाही की वर्तमान सीमाओं के बिना)। इस संबंध में कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी।	• दिनांक 19.08.2019 को कार्यप्रणाली जारी की गई है। • सीआईएल के पत्र दिनांक 18.09.2019 के अनुसार सीआईएल और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को परिचालित किया गया है।

3.3	दक्षता आधार पर एसीक्यू संबंधी अनुमोदन:सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रति मेगावाट एसीक्यू पात्रताओं की गणना 2600 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा की ऊपरी सीमायुक्त मानक स्टेशन हीट रेट के आधार पर की जाएगी।	• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 01.04.2019 से लागू होने वाले नए कोयले की खपत मानकों को दिनांक 27.03.2019 को जारी किया गया है। • सीआईएल ने दिनांक 06.09.2019 को 2600 किलोकैलोरी/कि.वा.घं. से अधिक एसएचआर वाले संयंत्रों के लिए एसीक्यू हकदारी को संशोधित किया है।
3.4	विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) को अनिवार्य भुगतान संबंधी अनुमोदन: विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिस्कॉमों द्वारा पीपीए के प्रावधानों के अनुसार भुगतान में विलंब होने पर एलपीएस का भुगतान कर दिया जाता है, विनियामकों से विमर्श कर सकता है। समुचित विनियामक आयोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं।	विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 25.03.2019 के पत्र द्वारा सीईआरसी/विनियामकों की फोरम से अनुरोध किया है कि वे सरकार के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
3.5	पीपीए/एफएसए/पारेषण कनेक्टिविटी /ईसी/एफसी/ जल इत्यादि को निरस्त करने संबंधी अनुमोदन: डिस्कॉम, सीआईएल, पीजीसीआईएल, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा उपयुक्त सरकारों को सलाह दी जा सकती है कि जल स्वीकृति सहित पीपीए, एफएसए, ईसी/एफसी तथा सभी अन्य अनुमोदनों को निरस्त नहीं किया जाए, वहां भी जहां परियोजना एनसीएलटी को भेज दी जाती है अथवा अन्य एनटीटी द्वारा अधिगृहीत कर ली जाती है, तथापि यह कार्रवाई संविदागत पीपीए तथा/अथवा प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों के अधीन की जाएगी। सभी स्वीकृतियां संयंत्रों से लिंक की जाएं न कि विकासकर्ताओं से।	• विद्युत मंत्रालय के दिनांक 04.06.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा राज्यों, पीजीसीआईएल और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) को एडवाइजरी पत्र जारी किये हैं।
3.6	सीओडी की अननुपालना के लिए पीपीए निरस्त करने संबंधी अनुमोदन: यदि किन्हीं कारणों से,जिनके लिए उत्पादनकर्ता उत्तरदायी नहीं है, परियोजना की कमिशनिंग में विलंब होता है तो डिस्कॉमों को उस पीपीए को निरस्त न करने की सलाह दी जा सकती है। पीपीए को एक निर्धारित अवधि तक रोककर रखा जा सकता है ताकि परियोजना के निष्पादन की बाधाओं को दूर करने में सक्षम हो सके। इसी दौरान पूर्व प्रस्तावों में सुझाए गए तंत्र के माध्यम से विद्युत का प्रापण किया जा सकता है।	विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.04.2019 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सीओडी के गैर अनुपालन के लिए पीपीए को रद्द करने से संबंधित स्वीकृति के अनुमोदन के संदर्भ में सरकार के निर्णय को उनके डिस्कॉमों को अवगत कराने का अनुरोध करते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है।

परिशिष्ट – दो

34 दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता	चालू की गई	जोड़े गए पीपीए	जोड़ा गया ईंधन
I	समाधान प्राप्त परियोजनाएं					
1	डीवीसी रघुनाथपुर	पश्चिम बंगाल	1200	1200	654	1200
2	कांती बिजली उत्पादन निगम लि. – एनटीपीसी	बिहार	390	390	390	390
3	अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड	महाराष्ट्र	3300	3300	3300	3300
4	आधुनिक पावर लिमिटेड	झारखंड	540	540	354	540
5	जीएमआर वरौरा एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र	600	600	600	600
6	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200	1200	576	600
7	कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लि.	छत्तीसगढ़	600	600	30	600
8	लैंको/अनपरा	उत्तर प्रदेश	1200	1200	1000	1200
9	जीएमआर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	1370	1370	0	0
10	एसकेएस पावर लि.	छत्तीसगढ़	1200	600	330	850
11	जेपी बीना एमपी	मध्य प्रदेश	500	500	350	350
12	जेपी निगरी	मध्य प्रदेश	1320	1320	495	660
13	जीएमआर कमलंगा लिमिटेड	ओडिशा	1050	1050	885	1050
14	प्रयागराज पावर जेन. कारपो. लि.	उत्तर प्रदेश	1980	1980	1782	1782
	कुल		**16450**	**15850**	**10746**	**13122**
II	**परियोजनाएं जिनका समाधान किया जाना है/समाधान किया जा सकता है (एनएलसीटी के अधीन अथवा बाहरी रूप से)**					
1	आरकेएम पावरजेन लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1440	1440	1293	900
2	एस्सार पावर महान लिमिटेड	मध्य प्रदेश	1200	1200	240	0
3	रत्न इंडिया पावर लिमिटेड – नासिक	महाराष्ट्र	1350	1350	0	986
4	एथेनाछत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200	0	0	600
5	कोस्टल एनर्जेन प्रा. लि.	तमिलनाडु	1200	1200	558	1200
6	जीवीके गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट	पंजाब	540	540	540	335
7	इंड बराथ उत्कल लिमिटेड	ओडिशा	700	339	584	616
8	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	ओडिशा	1200	1200	903	600

9	झबुआ पावर लि. (अवंथा)	मध्य प्रदेश	600	600	425	600
10	केएसके महानदी पावर कं. लि.	छत्तीसगढ़	3600	1800	2274	1800
11	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1320	0	0	1320
12	लैंको विदर्भ पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र	1320	0	0	1097
13	सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	600	600	0	600
	कुल		**16270**	**10269**	**6817**	**10654**
III	**परियोजनाएं जिनका समाधान नहीं हो सकता (रुकी हुई/जिनका समाधान संभव नहीं है)**					
1	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा. लि. (एथेना)	आंध्र प्रदेश	1320	0	0	0
2	एस्सार पावर झारखंड लिमिटेड	झारखंड	1200	0	1135	0
3	मोनेट पावर कं. लि.	ओडिशा	1050	0	262	0
4	लैंको बाबंध	ओडिशा	1320	0	0	660
5	वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ़	270	135	0	0
6	वीसा पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़	1200	0	0	0
7	केवीके नीलांचल पावर लिमिटेड	ओडिशा	1050	0	88	311
	कुल		**7410**	**135**	**1484.5**	**971**
	कुल जोड़		**40130**	**26254**	**19047.5**	**24747**
	कृपया ध्यान दें-उक्त आंकड़े विभिन्न स्रोतों से तैयार किए गए हैं और इसीलिए ये अनंतिम हैं/इनका सत्यापन किया जाना है।					

परिशिष्ट - तीन

शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता (आईबीसी) अथवा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की समाधान प्रक्रिया

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21/04/048/2017-18 के द्वारा 5/25 - लचीली पुनर्संरचना स्कीम, कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर), बाह्य एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय पुनर्संरचना स्कीम (एस4ए) आदि के साथ-साथ संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तंत्र जैसी सभी ऋण पुनर्संरचना स्कीमों को वापस ले लिया है। परिपत्र के अनुसार, ऐसे ऋण खातों में, जहां ऋणदाताओं को कुल जोखिम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है अथवा जहां खातों को पुनर्संरचित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा जहां भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ववर्ती स्कीमों के अंतर्गत पुनर्संरचना चल रही है, समाधान प्रक्रिया को 01 मार्च, 2018 से 180 दिनों के भीतर अथवा 01 मार्च, 2018 के बाद पहले व्यतिक्रम पत्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। यदि समाधान प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित नहीं किया गया तो ऋणदाताओं को उक्त समय-सीमा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आईबीसी (शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता) के अंतर्गत शोधन अक्षमता आवेदन दायर करना होगा।

2. इस परिपत्र को देश भर के उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से एपीपी, आईपीपीएआई और अनेक विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई, जिन्हें बाद में एक साथ मिला दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.04.2019 के अपने निर्णय में यह घोषणा की कि दिनांक 12.02.2018 का रद्द आरबीआई परिपत्र अधिकारातीत है।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 07.06.2019 के अपने संकटग्रस्त परिसंपत्यों के समाधान हेतु विवेकी ढांचे में निम्नंलिखित की अनुमति दी:

क. समीक्षा अवधि – जब कभी किसी ऋणदाता द्वारा किसी ऋणी के व्यतिक्रम में होने की रिपोर्ट दी जाती है, ऋणदाता ऐसे व्यतिक्रम से तीस दिनों के भीतर ऋणी के खाते की प्रथम दृष्ट या समीक्षा शुरू करेगा।

ख. अंतःलेनदार करार (आईसीए) : ऐसे मामलों में, जहां समाधान योजना (आरपी) क्रियान्वित की जानी है, समाधान प्रक्रिया (आरपी) को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वायन के लिए आधार नियम उपलब्धि कराने के लिए उक्तम समीक्षा अवधि के दौरान सभी लेनदार एक आईसीए पर हस्ताक्षर करेंगे।

ग. आईसीए में यह प्रावधान होगा कि कुल बकाया ऋण सुविधाओं के मूल्य का 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले कुल लेनदारों के 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा कोई भी सहमत निर्णय सभी लेनदारों पर लागू होगा।

घ. कोई समाधान प्रक्रिया केवल तभी ''क्रियान्वित'' मानी जाएगी, यदि ऋणी (स्वामित्व के मामले में कोई पुनर्संरचना/कोई बदलाव के लिए नहीं) समीक्षा अवधि के अंत से 180वें दिन तक किसी भी ऋणदाता के साथ व्यतिक्रम में नहीं होगा। 180 दिन की अवधि के बाद किसी भी तदनंतर व्यतिक्रम को नई समीक्षा प्रवर्तित करने वाला एक नया व्यतिक्रम माना जाएगा।

ङ. समाधान प्रक्रिया के विलंबित क्रियान्वयन के कारण अतिरिक्त प्रावधान:- सभी खातों के लिए- जहां कहीं किसी ऋणी के मामले में एक व्यववहार्य समाधान प्रक्रिया का नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, सभी ऋणदाता निम्नाननुसार अतिरिक्त प्रावधान करेंगे:

समाधान प्रक्रिया के लिए समय-सीमा	अतिरिक्त प्रावधान
समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिन	20%
समीक्षा अवधि शुरु होने से 365 दिन	35%

च. ऋणदाता किसी मामले को आईबीसी के पास ले जा सकता है अथवा नहीं ले जा सकता है। वे आईबीसी के बाहर अथवा उसके अंतर्गत समाधान प्रक्रिया निरूपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, यदि संकटग्रस्त परिसंपत्ति को आईबीसी के पास ले जाया जाता है, यह अतिरिक्त प्रावधानों के निवर्तन के रूप में कतिपय प्रोत्साहन देती है।

छ. आईबीसी के बाहर समाधान के लिए ऋणदाताओं की 100% सहमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

4. शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (आईआरपी) शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के अंतर्गत एक प्रक्रिया है, जहां राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) कारपोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करती है जब कोई कंपनी ऋणदाताओं को भुगतान करने के बारे में व्यतिक्रम करती है। जब व्यतिक्रम हो जाता है, कोई वित्तीय ऋणदाता, परिचालन ऋणदाता अथवा स्वयं कारपोरेट आईआरपी शुरू करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है। आईआरपी के अंतर्गत, एक अंतरिम समाधान पेशेवर को, उस कंपनी का जिसने व्यतिक्रम किया है, का प्रभार संभालने की शक्ति के साथ नियुक्त किया जाता है। पेशेवर का कार्य कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक उपाय करना होता है। नियुक्त पेशेवर को प्रचालन जारी रखने के लिए नई निधियां एकत्रित करने की भी शक्ति होती है। आईआरपी को समाधान खोजने के लिए 180 दिन दिए जाते हैं जिसे 90 दिनों के लिए आगे विस्तार दिया जा सकता है। यदि आईआरपी तब तक कोई समाधान खोजने में असफल रहती है, तो कंपनी को ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए परिसमाप्त किया जाता है।

परिशिष्ट - चार

ऊर्जा संबंधी स्थासयी समिति (2020-21) की दिनांक 18 मार्च, 2021 को समिति कक्ष '2', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली, में सम्पन्न हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक पूर्वाह्न 1500 बजे से अपराह्न 1535 बजे तक चली।

सदस्य

लोक सभा

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह – **सभापति**

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री अशोक महादेवराव नेते
4. श्री परबतभई सवाभाई पटेल
5. श्री दिपसिंह शंकरसिंह राठौड़
6. श्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी
7. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

8. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
9. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
10. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला
11. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
12. श्री के.टी.एस. तुलसी

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर.के. सूर्यनारायण — **निदेशक**
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा — **अपर निदेशक**

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित दस प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ तथा स्वीकार करने के लिए लियाः-

(क) 'राष्ट्रीय सौर मिशन-एक मूल्यांकन' विषय से संबंधित 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ख) 'विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ग) 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में आरबीआई की संशोधित रूपरेखा का विद्युत क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर प्रभाव' से संबंधित 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(घ) 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में संकटग्रस्त/गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों के संबंध में 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ड़) 'जल विद्युत' विषय से संबंधित 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(च) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) से संबंधित पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(छ) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) से संबंधित दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ज) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) से संबंधित तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(झ) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) से संबंधित चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ञ) 'अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना' विषय से संबंधित प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदन की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के उपरांत, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन/सुधार के स्वीकार कर लिया। समिति ने सभापति महोदय को उपरोक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकार करने तथा वर्तमान बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - पांच

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i) सिफारिशों की कुल संख्या: 15

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है
क्रम सं. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15

कुल: 15

प्रतिशत: 93.33%

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

कुल: 00

प्रतिशत: 00%

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है
क्रम सं. 10

कुल: 01

प्रतिशत: 6.67%

(v) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

कुल: 00

प्रतिशत: 00%